

भारतीय मजदूर संघ : एक अभिलेख

द्वारा :

डॉ. सियाराम शर्मा

(श्रम एवं समाज कल्याण विभाग, एल. पी. शाही कालेज, पटना)

Submitted to

आई. एल. एच. आर. पी.

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा

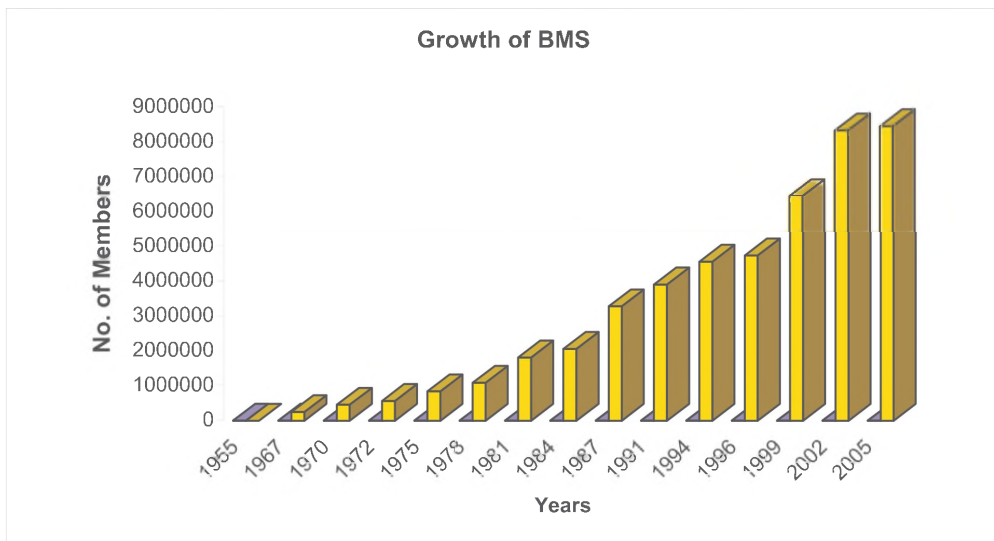
भारतीय मजदूर संघ एक परिचय

भारतीय मजदूर संघ स्थापना के 50वें वर्ष में आयोजित 14वें अधिवेशन दिनांक 3-5 अप्रैल 2005, दत्तोपंत ठेंगड़ी नगर, रामलीला मैदान, दिल्ली में हुआ। इस अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ ने अपने प्रगति का आंकड़ा जारी किया जिसमें वह भारत का ही नहीं संसार का सबसे बड़ा श्रम संगठन बताया।

भारतीय मजदूर संघ की प्रगति

1	1967	दिल्ली	246902
2	1970	कानपुर	456100
3	1972	मुम्बई	567465
4	1975	अमृतसर	839432
5	1978	जयपूर	103488
6	1981	कोलकता	185910
7	1984	हैदराबाद	2053721
8	1987	बंगलौर	3286559
9	1991	बड़ौदरा	3889376
10	1994	धनबाद	4542600
11	1996	भोपाल	4718831
12	1999	नागपुर	6431691
13	2002	तिरुअनन्तपुरम	8318348

14	2005	दिल्ली	8440281
----	------	--------	---------



भारतीय मजदूर संघ की सदस्य संख्या बढ़ती जा रही है। यही हमारा अध्ययन का क्षेत्र बन जाता है। 23 जुलाई 1955 भारतीय मजदूर संघ की स्थापना, ऐसे समय में हुई जब देश 8 वर्ष पूर्व आजादी प्राप्त कर अपने भविष्य की राह तय करने की प्रक्रिया से गुजर रहा था और इस देश का मजदूर विदेशी विचारों की दास्ता में फंसा हुआ था। उसे दो-दो मालिकों की गूलामी, एक तो उसकी कारखाने का मालिक जिसमें वह काम करता था दूसरा उसका नेता जिस यूनियन का वह सदस्य था एक साथ सहनी पड़ रही थी। वह केवल नेताओं की सभाओं में दरी बिछाने से लेकर भीड़ जुटाने भर मात्र का साधन बन कर रह गया था।

ऐसी परिस्थिति में जहाँ सत्ता व दलों की कठोर पकड़ में मजदूर संगठन अपनी मनमानी चला रहे थे। जिस समय भामस की स्थापना का निर्णय हुआ उस समय इनके पास न

तो सदस्यता थी, न यूनियन थी, न फाइल थी, न कार्यालय था, न झंडा था न डंडा था। और न कोई अनुभवी नेता। इनके पास केवल एक विचारधारा का सहारा था। श्रम संगठनों के जन्म का जो इतिहास है उसमें भामस शून्य था।

On the day of the their formation

INTUC	3-5-1947	200	5,75,000	SVB Patel
HMS	1948	119	1,03,790	Ashok Mehta
UTUC	1999	254	3,31,991	-
BMS	23-7-1955	Nil	Nil	D.B. Thengadiji

ऊपर लिखे आँकड़ों से यह साफ हो जाता है कि भामस छोड़ कर सारे संगठन अपने जन्म के समय श्रम क्षेत्र में कार्यरत थे, पहचान थी।

भामसः उद्भव, विकास एवं विचारधारा

भामस की स्थापना की पृष्ठभूमि

भारतीय श्रमिक संघ आन्दोलन अन्तराष्ट्रीय द्वंद एवं आन्तरिक घटकबाद से पीड़ित है। विपूलता की समस्या इनसे जुड़ी हुई है। श्रमिक संघों की बीमारियों के कारणों की खोज अनेक विद्वानों ने की है तथा राजनीतिक कारण को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण की संज्ञा दी है। यह बात सर्वविदित है कि स्वतंत्रा के पश्चात भारतीय श्रम संघ आन्दोलन की प्रवृत्ति राजनीतिक श्रम संघवाद की हो गई है। राजनीतिक दलों में श्रम क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की होड़ लग गई। आन्दोलन में फूट की शुरुआत कांग्रेस (इण्डियन नेशनल कांग्रेस) ने की। आजादी के अवसर पर इसने एक अलग राष्ट्रीय महासंघ इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इन्टक) की स्थापना की। स्थापित महासंघ आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में दरा पड़ी। इसके बाद सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों ने अपने-अपने महासंघ बनाए। भारतीय जनसंघ (अब भारतीय जनता पार्टी) भी इस दौड़ में शरीक हुआ तथा उसने भी एक पृथक महासंघ का निर्माण किया। अतः यह स्पष्ट है कि अन्य महासंघों की तरह ही भामस की स्थापना की आवश्यकता भी राजनीति से प्रेरित है तथा राजनीतिक कारण की बुनियाद पर इसका भी निर्माण हुआ है। फिर भी, भामस के उपलब्ध साहित्य के अवलोकन से जो कारण निर्गत होते हैं, उनका विश्लेषण करने का प्रयास यहाँ किया गया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका

भारतीय राजनीतिक-सांस्कृतिक सामाजिक मंच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था का जन्म 1925 में हुआ। इस संस्था ने भारतीय जनमानस को अपनी विभिन्न

अवधारणाओं, परिकल्पनाओं एवं सिद्धान्तों के द्वारा पक्ष या विपक्ष में उद्घेलित किया है। इस राष्ट्र में कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो इतनी विवादास्पद रही हो तथा जिसके आलोचकों और प्रशंसकों की संख्या इतनी बड़ी हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य उद्देश्य भारतवासियों में चरित्र निर्माण तथा राष्ट्रभक्ति का जागरण करके राष्ट्र निर्माण करना है। इस संगठन ने हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत की है। इस अवधारणा के कारण बहुत सारे विद्वानों, गैर हिन्दू संप्रदाय के प्रतिनिधियों, वामपंथी राजनीतिक दलों एवं प्रगतिशील लोगों ने इसे एक साम्प्रदायिक संगठन की संज्ञा दी है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस आरोप का खंडन करना है, इसके अनुसार हिन्दू राष्ट्र भारतीय राष्ट्र का समानार्थक है तथा हिन्दू भारतीयता का विकल्प है। उनके अनुसार “हर एक की उपासना पद्धति की पूरी स्वतंत्रता देते हुए राष्ट्रीय अर्थ में भारत हिन्दू राष्ट्र है और इस राष्ट्र का निर्माण और पुनर्निर्माण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य है। यह बात स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के प्राचीन दर्शन पर विश्वास करता है। वह पश्चिम से उधार ली गई विचार पद्धतियों से बुनियादी मतभेद जाहिर करता है तथा भारत की मिट्टी पर उपजे दर्शनों के प्रति अपनी पूर्ण आस्था जाहिर करता है। संघ मार्क्सवादी, माओवादी एवं कम्युनिष्ट आंदोलन की जोरदार शब्दों में आलोचना करता है। यह भी एक कारण है कि संघ को कुछ लोग दकियानूसी विचारों का समर्थक मानते हैं तथा उससे बचने का सुझाव देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति अनेक विचार व्यक्त किए जाते रहे हैं। कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में। महात्मा गांधी की हत्या के सिलसिले में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया गया। उस पर प्रतिबंध लगाए गए, उसके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया तथा उसे गैर कानूनी भी घोषित किया गया। लेकिन यह प्रतिबंध बहुत दिनों तक जारी नहीं रहा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचार-धारा के प्रचार-प्रसार के लिए

तथा अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अनेक संगठनों के निर्माण का प्रेरणा स्रोत बना। उसके एक महान विचारक का यह मत है कि “व्यक्तियों का संगठन ही समाज का शाश्वत शक्ति का आधार बन सकता है। वह होगा ऐसा संगठन, जो परिस्थितियों के प्रवाह के ऊपर उठ सके, जो छुद्र स्वार्थों की पूर्ति की भावना से अथवा राजनीतिक सत्ता को अधिकृत कर लेने की लालसा से स्फूर्त न हो तथा जो अपने अस्तित्व मात्र से सम्पूर्ण समाज के प्रसाद को सुस्थिति में बनाए रखकर उसके पूर्ण स्वविकास के लिए स्वयंस्फूर्त आवेग एवं शक्ति -प्रदान करें।”¹

विभिन्न ग्रन्थों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय मजदूर संघ के निर्माण की प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही प्राप्त हुई ।

डॉक्टर हेडगेवार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे, का यह विचार था कि संघ का स्वयंसेवक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करें।

गोलवलकर ने संघ के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रमुख स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि “ किसी बड़े परिवार के कुछ युवक अनेक क्षेत्रों में यदि काम करने के लिए जाएं तो उनका कर्तव्य है कि अपने खर्च मात्र के लिए घर से पैसा मंगवाकर अपने पराक्रम से अधिकाधिक मात्रा में सम्पत्ति, समृद्धि व सम्मान प्राप्त करें। उनके द्वारा अपने कुल की प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, श्रेष्ठत्व तथा प्रभाव को वे बढ़ाएं। उसी प्रकार हर लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से चलने वाले इन कामों के विषय में सोचें कि अपना मूल-कुल “संघ” है। उसकी सभी प्रकार से उन्नति के लिए जिस-जिस क्षेत्र में जाएंगे और काम

¹ आर्गनाइजर, अग्रलेख, 11 अक्टूबर, 1994

करेंगे, उस-उस क्षेत्र का उपयोग करते हुए अपने इस कार्य को समृद्ध करेंगे। इस कार्य का ही सब प्रकार से विस्तार और प्रभाव बढ़ाएंगे। इस संकल्प के साथ हमें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम करना चाहिए। उसका वहाँ प्रभाव पड़ना ही चाहिए। हम स्वयंसेवक का चरित्र भाव सब लोगों के साथ आत्मीयता से सराबोर आचारण अपने काम में सच्चाई आद के कारण, अपने स्वयंसेवकत्व की विशेषता और श्रेष्ठता का भाव लोगों के मन में उत्पन्न होकर, अपने चारों ओर संघ के लिए योग्य वायुमण्डल तथा अत्यन्त श्रद्धा का भाव उत्पन्न होना चाहिए।"²

गोलवलकर ने अपने विचार को और आगे स्पष्ट किया है, “ यदि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जाकर उन्हीं क्षेत्रों के हो गए और सोचने लगे कि वहाँ के गुणावगुण को लेकर हम चले, अब संघ से अपना कोई संबंध नहीं, तब तो फिर एक स्वयंसेवक के नाते किसी अन्य कार्य में जाना कदापि उपयोगी नहीं होगा। उदाहरण ऐसे हैं- रामदास स्वामी के कथनानुसार जिस प्रकार तोप से निकला हुआ गोला शत्रु-सैना में गिरकर तितर-बितर कर देता है, उसी प्रकार एक-एक कार्यकर्ता को एक-एक क्षेत्र में तेजी से घुसकर अपने प्रभाव से सभी विपरीत शक्तियों को तितर - बितर कर देना चाहिए तथा सभी सन्मार्गगामी लोगों को एकत्रित कर अपनी शक्ति का संवर्धन करने के लिए दुर्तगति से जुट जाना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, समाज के भिन्न-भिन्न कार्यों में भी हम लोग यदि यश प्राप्त करें, तो वर्तमान भारत के इस चिन्ताजन चित्र को आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग बदल देने में सफल होंगे।”³

² श्रीगुरुजी समग्र दर्शन, खण्ड-6, पृ0 42

³ श्रीगुरुजी समग्र दर्शन, खण्ड-6, पृ0 42

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक गोलवलकर के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे।
(क) परम् वैभव - जिसके अंतर्गत स्वयंसेवक द्रुति दिन प्रार्थना करता है कि हमारे राष्ट्र को परम वैवी का स्थान प्राप्त हो तथा (ख) राष्ट्रवादी संगठन जिसके अंतर्गत संगठन राष्ट्रीयता की भावना से ओत प्रोत होता है तथा संगठन के हर कार्य के पीछे राष्ट्रहित एवं राष्ट्र सम्मान की भावना काम करती है।

स्पष्ट है कि भारतीय मजदूर संघ का निर्माण भी आर.एस.एस. के इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही किया गया। भामस मजदूरों का एक ऐसा संगठन है जो परम् वैभव एवं राष्ट्रीयता की विचारधारा को मजदूरों में प्रसारित करना चाहता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकाशपुंज है जिससे संगठन के रूप में अनेक किरणें फूटी हैं तथा समाज के विभिन्न अंगों को आलोकित करते का कार्य किया है। राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनसंघ (भारतीय जनता पार्टी), छात्रों के क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद, किसानों के क्षेत्र में भारतीय किसान संघ, मजदूरों के क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ, आदिवासियों के क्षेत्र में बनवासी संघ आदि अनेक संगठनों को जन्म दिया है। ये संगठन मूलतः संघ की विचारधारा को प्रचारित-प्रसारित करते हैं तथा इस विचारधारा के आलोक में अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं तथा उन्हें कार्यान्वित करते हैं।

भामस की निर्माण प्रक्रिया

भामस की कल्पना सर्वप्रथम भारतीय जनसंघ के राजनीतिक विचारक, चिंतक एवं प्रधान दीन दयाल उपाध्याय ने की। जनवरी 1955 में उन्होंने मजदूर नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी के

साथ इस विषय पर विचार विमर्श किया। इस विचार विनिमय से कुछ निष्कर्ष निकाले गये।

पहला निष्कर्ष यह था कि राजनीतिक दल को लांघकर जाने वाला, श्रमिकों के सच्चे हितों का बोध रखने वाला और भारत की राष्ट्रीय व सांस्कृतिक परम्परा से जुड़ा एक श्रमिक संगठन बनाना चाहिए, तब पूँजीवादी और साम्यवादी प्रणालियों को निर्णायक ढंग से हराया जा सकता है।⁴ दीन दयाल क विचार था कि श्रमिक संगठन को राजनीतिक प्रभाव एवं अवसरवादिता से मुक्त करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उनका मत था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक श्रमिक संगठन तुरंत स्थापित किया जाय। दीनदयाल और ठेंगड़ी ने चर्चा में जो विचार निश्चित किए, वे थे-

1. प्रास्तावि श्रमिक संगठन को वर्ग अवधारणा से ऊपर उठकर राष्ट्रीय विचार करना चाहिए।
2. श्रमिक आन्दोलन को पूँजीवादी एवं तानाशाही अभारतीय तत्वों से मुक्त करते हुए व्यक्ति एवं समाज में पारस्परिक एकात्म भावना की प्रतिष्ठापना करनी चाहिए।
3. श्रमिक आंदोलन के कार्यकर्ताओं को भावात्मक नेतृत्व प्रदान करना और साथ ही श्रमिक आंदोलन के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने की सावधानी बरतना। उदाहरण के लिए संगठन बनाने का अधिकार हो, जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन मिले तथा बढ़ती मंहगाई के अनुपात में वह बढ़ता जाए, नौकरी में सुरक्षा हो, काम का अधिकार एवं व्यवस्थापन तथा लाभ में श्रमिकों का सहभाग

⁴ भालचन्द्र कृष्णाजी केलकर, पं० दीन दयाल उपाध्या विचार दर्शन, खंड-3, राजनीतिक चिन्तन, पृ 72-73

हो और इन सभी उपायों के निष्फल हो जाने के बाद अंतिम शस्त्र के रूप में हड़ताल करने का अधिकार हो।

4. श्रमिकों के मन में सेवा-भाव और एकता तथा त्याग की भावना का निर्माण किया जाय।
5. किसी भी राजनीति प्रभाव से मुक्त रहकर सभी श्रमिक-संगठनों को अपने साथ लेकर एक राष्ट्रीय महासंघ बनाया जाए।⁵

उपर्युक्त निष्कर्षों को कार्य रूप देने के लिए तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं जनसंघ की विचारधारा से साम्य रखने व मजदूर संगठनों एवं नेताओं को एक सूत्र में बांधने के लिए लोकमान्य तिलक के जन्म दिवस 23 जुलाई, 1955 को भोपाल में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न भागों से करीब तीन दर्जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि एक नए संगठन का निर्माण किया जाय।

नामकरण

तदुपरान्त संस्था के नामकरण की समस्या उठी। ठेगड़ी ने एक नाम प्रस्तावित किया- भारतीय श्रमिक संघ। पंजाब के प्रतिनिधियों ने इस नाम पर आपत्ति व्यक्त की क्योंकि श्रमिक शब्द का उच्चारण पंजाबी में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। अतः उन्होंने श्रमिक शब्द के स्थान पर मजदूर शब्द रखने की सिफारिश की। इस समस्या का अंतिम हल निकालने का भार वयोवृद्ध नेता कानाईलाल बनर्जी को सौंपा गया। कानाई लाल का निर्णय था - “हमारे बंगाल में श्रमिक शब्द ही अधिक बोला जाता है, परन्तु हमें अखिल

⁵ भालचन्द्र, गृष्णाजी केलकर, पं. दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन, खण्ड-3, पृ-73

भारती रूप में काम खड़ा करना है तो अपने पंजाब के भाइयों की सुविधा की दृष्टि से मैं कहूंगा कि “मजदूर शब्द ही चले।”⁶ इस निर्णय के साथ ही “भारतीय मजदूर संघ” नामक एक राष्ट्रीय महासंघ भारतीय श्रम संघ आन्दोलन के क्षितिज पर उदित हुआ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता के उपरान्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिन्दू राष्ट्र की धारणा को देश की राजनीतिक विचार धारा में लाना चाहा। फलस्वरूप 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई इसके

प्रथम अध्यक्ष डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुसार, राष्ट्र जीवन की ओर देखने के लिए भारतीय दृष्टिकोण तथा राष्ट्रवादी परम्परा को लेकर भारतीय जनसंघ ने देश की राजनीति में प्रवेश किया। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में राजनीतिक दल के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह नागरिकों के विभिन्न वर्ग में अपना स्थायित्व कायम करे तथा उनकी आस्था प्राप्त करे। श्रमिक वर्ग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचार धारा को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए एक पृथक श्रमिक संघ की कल्पना सर्वप्रथम जनसंघ के राजनीतिक विचारक एवं नेता दीनदयाल उपाध्याय ने की। स कल्पना को साकार रूप देने के लिए उन्होंने मजदूर नेता दत्तोपंद ठेंगड़ी से बातचीत की जिससे मुख्य रूप से निम्नलिखित निष्कर्ष निकले-

- (क) राजनीतिक दल को लांघकर जाने वाला, श्रमिकों के सच्चे हितों का बोध रखने वाला और भारत की राष्ट्रीय व सांस्कृतिक परम्परा से जुड़ा संगठन

⁶ दत्तोपंत ठेंगड़ी, सप्तक्रम, पृ-159

बनना चाहिए, तभी पूँजीवादी और साम्यवादी प्रणालियों को निर्णायक ढंग से हराया जा सकता है । और

(ख) श्रमिक संगठन को राजनीतिक प्रभाव एवं अवसरवादिता से मुक्त करने की आवश्यकता है।⁷

उपर्युक्त निष्कर्षों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनसंघ एक ऐसा राष्ट्रीय मजदूर संगठन को जन्म देना चाहता था जो राजनीतिक दल की परिधि से बाहर हो श्रमिकों के सच्चे हितों का बोध रखता हो तथा भारत की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक साम्यवादी प्रणालियों को निर्णायक ढंग से हरा सकता है। क्या राजनीति के गर्भ से जन्म लेने वाला तथा राजनीति शक्तियों एवं प्रणालियों से संघर्ष करने वाला संगठन राजनीति से अपने को पृथक् रख सकता है ? क्या जिस कुल से आया है उस कुल को भूल सकता है तथा कुल के साथ वादा खिलाफी कर सकता है ? इनके उत्तर नकारात्मक होंगे। भामस अन्य महासंघों की तरह राजनीति से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का पोषक है। वह भाजपा के लिए मनानुकूल राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करता है तथा राजनीतिक चुनाव में उसकी मदद करता है। वह वामपंथी दलों का खुलकर विरोध करता है कि उनके दर्शनों के प्रचार-प्रसार में बाधा उपस्थित करता है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलस्थिता के सिद्धांत का अनुकरण असंभव सा प्रतीत होता है। कई नेताओं के साक्षात्कार से यह बात भी स्पष्ट हुई है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा, भामस आदि संगठनों के बीच दिखा-निर्देश करते रहते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल वाले तथा उनके अनौपचारिक रूप से जुड़े मजदूर संगठन अपने संबंध को छुपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह संबंध

⁷ भालचन्द्र कुष्णाजी केलकर, पं. दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन, खण्ड-3, राजनीतिक चिन्तन, पृ. 72-73

छिपाने से छिपने वाला नहीं और न बताने पर भी जग-जाहिर है। ऐसा लगता है कि भाजपा और भामस के नेताओं में भी भारतीय परम्परा और संस्कृति की अवहेलना करते हुए मन, कर्म एवं बचन में अनेकता का परिचय दिया है। क्या यह माना जाय कि मजदूर वर्ग भामस के प्रति उसी राजनीति विहीन चरित्र के कारण काकर्षित है ? या, क्या इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भाजपा की विचारधारा के प्रति आकर्षण गौण है ? अगर राजनीति विहीन चरित्र के कारण भामस की प्रगति हुई है तो स्पष्ट है कि विचारधारा का प्रभाव नगण्य है। लेकिन कोई भी भाजपा या भामस का नेता इस निष्कर्ष को नहीं मानेगा। और अगर इसे मानने में कठिनाई हो रही हो तो जाहिर है कि राजनीतिक विचारधारा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है तथा भामस का जन्म भी अन्य महासंघों की तरह राजनीतिक कारणों से प्रेरित है।

भामस का विकास

शून्य से प्रारम्भ

जुलाई 1955 को “भारतीय मजदूर संघ” नामक अखिल भारतीय श्रमिक संगठन की घोषणा हुई। उस समय भारतीय मजदूर संघ नामक संस्था की कोई अखिल भारतीय समिति नहीं थी। बिना निर्वाचन के ही दत्तोपंत ठेंगड़ी ने महामंत्री के रूप में कार्य शुरू कर दिया। उस दिन भोपाल में ठेंगड़ी जी ने पत्रकारों को बुलाया। एक पत्रकार ने पूछा आपके साथ कितने महासंघ हैं? एक भी नहीं। एक पत्रकार ने कहा तो ये बताएं कि कितने मजदूर हैं? ठेंगड़ी ने कहा एक भी नहीं। इस पर एक पत्रकार नक कटाक्ष करते हुए कहा- कि बिना मजदूर के अखिल भारतीय मजदूर संघ की घोषणा करते हैं।⁸

भारतीय मजदूर संघ के एक मात्र नेता विभिन्न स्थानों पर अपने समान विचारधारा वाले श्रमिकों से मिलते रहे तथा उन्हें संगठन बनाने के लिए प्रेरित करते रहे। इसी क्रम में बम्बई में एक बैठक हुई जिसमें भामस के विधान का प्रारूप तैयार किया गया। लेकिन इस बीच में न तो कोई अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ और न राष्ट्रीय स्तर पर किसी कार्य समिति का गठन। उत्तोपंत ठेंगड़ी, जिन्होंने विभिन्न श्रम संगठनों में कार्य किए थे तथा श्रमिक संघवाद के ज्ञाता, तजुर्बेकार एवं व्याख्याता थे, भारतीय मजदूर संघ को सशक्त एवं सबल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे।

धीरे-धीरे भारतीय मजदूर संघ की ताकत बढ़ने लगी। इसके पूर्व भारत में अखिल भारतीय श्रमिक संगठन इन्टक, एटक, हिन्द मजदूर सभा तथा युटक चल रहे थे। 1955 से इस पाँचवे श्रमिक संगठन ने शून्य से निर्माण करने का प्रयत्न प्रारंभ किया। इसकी

⁸ रामदेव प्रसाद, अध्यक्ष, बिहार प्रदेश ने साक्षात्कार में ये बातें बतायीं।

प्रगति क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दिल्ली से बढ़ती हुई आज देश के सभी राज्यों में फैल चुकी है। असम के चाय बागान से लेकर सौराष्ट्र के तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन के मजदूरों तक तथा कश्मीर की केसर कियारियों के मजदूर से लेकर केरल के मछुआरे मजदूरों की यूनियनों तक, भारतीय मजदूर संघ ने प्रवेश किया है। वहां आज रेलवे, प्रतिरक्षा, बैंक, बीमा, विद्युत, टेक्सटाईल, सुगर, इंजीनियरिंग, इस्पात, परिवहन, खदान, तेल व प्राकृतिक गैस, फट्रलाइजर और केमिकल्स, स्वायत्त शिक्षण संस्थान, न्यूज पेपर तथा उद्योगों मजदूरों में प्रभावी रूप से कार्य बढ़ाते हुए इन सभी उद्योगों के मजदूरों के अखिल भारतीय मजदूर संघों को बनाने में भी सफल हुआ है। और, आज भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश, राजस्थान दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और बिहार में नम्बर एक है।⁹

प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन

1967 में 12 व 13 अगस्त को दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ का पहला अखिल भारतीय मजदूर संघ हुआ। उस समय देश के 15 राज्यों में भारतीय मजदूर संघ का कार्य था तथा सदस्य संख्या 2 लाख 46 हजार थी। इस अधिवेशन में 2000 प्रतिनिधि आए थे। तथा संबंध यूनियनों की संख्या 541 थी। इस अधिवेशन तक 9 राज्यों में प्रान्तीय इकाइयाँ गठित की जा चुकी थी तथा 4 अखिल भारतीय औद्योगिक महासंघों (सुगर, इंजीनियरिंग, टेक्सटाईल तथा रेलवे) संबद्ध थी। इस प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन डा० बाबा गायकवाड़ ने किया था। दादा साहेब ने अपने भाषण में कहा किह ट्रेड यूनियन सही ट्रेड यूनियनियज्म के आधार पर चलाई जाय। अवसरवादी, व्यक्तिवादी, राजनैतिक तत्वों से उसको मुक्त रखा जाए। लोकतंत्र के ढाँचे के अंतर्गत तथा

⁹ जनसत्ता, नई दिल्ली, 24 अगस्त 1985, पृ.-1

लोकतंत्रात्मक प्रणाली से उसको चालाया जाए। लोकतंत्र तथा राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों से उसको बचाया जाए तथा देश भक्ति की भावना के कारण समाज के अन्य विभागों के साथ राष्ट्रोद्धार के कार्य में पूरा सहयोग देने के लिए आगे बढ़ा जाए।¹⁰

इस अधिवेशन के बाद ही भारतीय मजदूर संघ लोगों की दृष्टि में आया और इसी अधिवेशन में पहली बार अखिल भारतीय कार्य समिति का गठन किया गया। कार्य समिति के सदस्यों के नाम, पद एवं स्थान का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है।

¹⁰ भारतीय मजदूर संघ का प्रथम अधिवेशन, दिल्ली, 1967, पृ-10

तालिका-1

अखिल भारतीय कार्य समिति (प्रथम)

अध्यक्ष	दादा साहेब काम्बले	नागपूर
उपाध्यक्ष	गजानन राव गोखले बी. पी. जोशी रमा शंकर सिंह	बम्बई दिल्ली बिहार
महामंत्री	दत्तोपंत ठेंगडी	
मंत्री	राम नरेश सिंह ओम पुकार आग्गी प्रभाकर घाटे	कानपुर लुधियाना मंगलौर
कोषाध्यक्ष	मनहर मेहता	बम्बई
सदस्य	अरूमुगल श्री हरि राव गोविन्द राव आठवले रमन शाह रामभाऊ जोशी चांदरतन आचार्य डॉ. कृष्ण गोपाल रामकृष्ण भास्कर रामदेव प्रसाद नरेशचन्द्र गागुली राम प्रकाश मिश्र अमलदार सिंह किशोर देशपाण्डेय सुधीर सिंह रघुनाथ तिवारी सत्येन्द्र नाराण सिंह आर. वेगु गोपाल केशव भाई ठक्कर	मद्रास आन्ध्र प्रदेश नागपुर बम्बई इन्दौर जयपुर हरियाणा दिल्ली पटना कलकत्ता कानपुर बम्बई बम्बई गोरखपुर गौहाटी उत्कल केरल गुजरात

प्रथम अध्यक्ष - दादा साहेब काम्बले

काम्बले का जन्म 1904 में महाराष्ट्र में हुआ। शिक्षा ग्रेजुएशन तक। अध्ययन के बाद डाक व तार विभाग में नौकरी तथा मजदूर क्षेत्र में प्रवेश। 1931 में वे डाक व तार कर्मचारियों के संगठन की कार्यकारिणी में लिए गए तथा 44 में ऑल इण्डिया पोस्ट एण्ड आर0 एम0 एस0 कर्मचारी एसोसिएशन की कार्यकारिणी में चुने गए। 46 में उस संगठन के महामंत्री। उनके नेतृत्व में भूख-हड़ताल चली जो आगे चल कर कलम बंद हड़ताल में बदल गया। 47 से 57 की अवधि में वे विदर्भ पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1967 में भारतीय मजदूर संघ के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। सन् 68-69 में केन्द्रीय सरकार के दण्डित कर्मचारियों के लिए बनाई गई केन्द्रीय श्रम संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति में वह बराबरी का सदस्य बना और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को दिए गए भारतीय मजदूरों के मांग पत्र का हस्ताक्षरकर्ता भी बने जो भामस के आग्रह पर तैयार किया गया था।

1968 में भामस ने अखिल भारतीय मान्यता की मांग की। सरकार ने यह बताया कि राष्ट्रीय श्रम आयोग अखिल भारतीय मान्यता के संबंध में जो सिफारिशें देगा, वह मान्य होगा। भामस ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को प्रतिवेदन दिया। दूसरी ओर 22 सितंबर 1969 को भारतीय मजदूर संघ की ओर से राष्ट्रपति वी0 वी0 गिरि को मांग पत्रों की एक पुस्तक समर्पित की गई। भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत यह मांग पत्र अपने तरह का अनोखा था। इसमें सिर्फ अधिकार ही नहीं मजदूरों के कर्तव्यों और आचरणों को भी एक व्यवस्था क्रम के रूप में रखा गया था। एक पक्ष की मांग, याद सही है तो वह दूसरे पक्ष को कर्तव्य बन जानी चाहिए। इसी मांग पत्र पर जोर डालने के लिए 17 नवम्बर 1969 को भामस के 50 हजार मजदूरों का एक विशाल प्रदर्शन दिल्ली में किया गया। देश की

राजधानी में किसी भी एक ही केन्द्रीय श्रम संस्था द्वारा प्रदर्शन होने का यह पहला अवसर था।

द्वितीय अखिल भारतीय अधिवेशन

प्रथम अधिवेशन के समय केवल दिल्ली में ही भामस की राजस्तरीय मान्यता था। जब दूसरा अधिवेशन 12 व 13 अप्रैल 1970 को कानपुर में हुआ तो उस समय 7 नए राज्यों में भामस को मान्यता प्राप्त हो गई थी- ये राज्य थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मैसूर। कानपुर अधिवेशन के समय संबद्ध यूनियनों की संख्या 899 और सदस्यता 4 लाख 56 हजार हो गई और महासंघों की संख्या 11 तक हो गई।¹¹ इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना 1974 में घटी जो रेल हड़ताल में सरकार आतंक के नाम से जानी जाती है। “भारतीय रेलवे मजदूर संघ” जो भामस की संबद्ध इकाई है वह भी “नेशनल को-आर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवेमेन्स स्ट्रगल” (एन. सी. सी. आर. एस.) के प्रमुख घटकों में एक था। 8 मई के पहले ही हड़ताल कलकत्ता और मद्रास में शुरू हो गई थी। सरकार हड़ताली कर्मचारियों को जबर्दस्ती काम पर ले जा रही थी। हड़ताल को तोड़ने के लिए सरकार ने ताण्डव नृत्य किया। उस समय दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ की कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसके कहा गया कि एकता वसंयाका हित में उन्हुहें संयुक्त भूमिका निभानी चाहिए और एकता की उपलब्धि इस संघर्ष की एक विशेषता रही।

भारतीय मजदूर संघ का पटसन कर्मचारी फेडरेशन, फरवरी 1975 में, पटसन हड़ताल के लिए पश्चिम बंगाल संयुक्त मोर्चे का एक सदस्य बन गया और राज्य तथा केन्द्रीय

¹¹ भारतीय मजदूर संघ का द्वितीय अधिवेश, कानुर पृ0-1

दोनों स्तरों पर इसे मान्यता मिल गई। भामस ने 28 अगस्त, 1974 को दिल्ली में श्रम संगठन के सी.डी. एस. विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया और बाद में सम्मेलन द्वारा गठित राष्ट्रीय अभियान समिति का सदस्य बन गया।

भामस ने दिल्ली में घरेलू नौकरी को, कोचीन में निर्माण ठेकेदारों के मजदूरों को, दिल्ली में दूतावासों के कर्मचारियों को, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में फार्मसिस्टों और कम्पाउन्डरों को, कालीकट में जहाजी कर्मचारियों को और साथ ही साथ बम्बई में पुलिस अस्पताल के कर्मचारियों को भी संगठित किया है।

चतुर्थ अखिल भारतीय सम्मेलन

19-20 अप्रैल 1975 को चतुर्थ सम्मेलन अमृतसर में हुआ जिसमें महामंत्री के प्रतिवेदन के अनुसार 1.1.75 तक कुल संबद्ध संघों की संख्या 1313 और सदस्यों की संख्या 8 लाख 40 हजार हो गई और महासंघों की संख्या 14 हो गई।¹²

25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार ने आपात स्थिति लागू कर दी। आपात स्थिति में विरुद्ध भामस ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपातस्थिति में भामस के 1 लाख से भी ऊपर कार्यकर्ताओं ने कानून को तोड़ा तथा 5 हजार जेलों में बंद हुए इसमें 250 मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार थे। भारतीय मजदूरी संघ इमरजेन्सी के विरुद्ध मजदूरों में जागृति लाने के लिए अनेक प्रकार के पत्रक व पुस्तिकाएँ, जैसे “आपातस्थिति में पिसता हुआ मजदूर” प्रकाशित करता रहा। दूसरी ओर भामस के महामंत्री दत्तोपंत ठेंगड़ी ने महामंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया और उन्हें राष्ट्रीय श्रम संघर्ष समिति का संयोजक 1975 में

¹² भारतीय मजदूर संघ का चतुर्थ अधिवेशन, अमृतसर, पृ0-2

बनाया गया और इस पद पर राम नरेश सिंह आ गए। भारतीय मजदूर संघ ने आपात स्थिति के विरोधी अन्य श्रमिक संगठनों को भी एक मंच पर जुटाने का सफल प्रयास किया तथा इन्दिरा जुल्म के अन्तर्गत चल रही श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त रूप से विरोध आयोजित किया। तानाशाही के ध्वस्त होने के बाद भामस पुनः अपनी सही ट्रेड यूनियन आन्दोलन में लौट गया।

पंचम अखिल भारतीय सम्मेलन

21, 22, 23 अप्रैल 1978 को जयपुर में भारतीय मजदूर संघ का पाँचवा अधिवेशन हुआ। 1974 के अंत में भामस से संबंधित यूनियनों 1313 थी, 1977 के अंत में 1555 और सदस्य संख्या 10,83,488 हो गई।¹³

इस बीच 8 अक्टूबर 1977 को “कान्फेडरेशन ऑफ सेन्ट्रल एण्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज” नामक सहयोगी संस्था की स्थापना हुई जिसकी सदस्य संख्या 11 लाख तक पहुँच चुकी है।

भामस से संबद्ध 17 औद्योगिक महासंघ सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। इस अधिवेशन में निम्नलिखित उद्योगों के महासंघ बनने जा रहे हैं-

1. बीड़ी उद्योग
2. बुनकर
3. भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
4. फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफस इण्डिया

¹³ भारतीय मजदूर संघ का पंचम अधिवेशन, जयपुर, पृ. 3

5. डेरी
6. ओ. एन. ज . सी. और
7. इ. डी. स्फाफ (पोस्टल)

छठा अखिल भारतीय अधिवेशन

7, 8 मार्च 1981 को कलकत्ते में यह घोषणा की गई कि भामस से सम्बद्ध संघों 1776 और सदस्य संख्या 18,05,910 हो गई।¹⁴

अब तक भामस के 25 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। भामस ने अपनी रजत जयन्ती मनाया।

इस अवधि में नागालैण्ड में ट्रान्सपोर्ट मजदूरों की तथा त्रिपुरा में चाय मजदूरों की एक-एक प्रभावा यूनियनों ने भामस से सम्बद्धता ली है। इस प्रकार से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में भी भामस के काम का श्रीगणेश हुआ।

सातवाँ अखिल भारतीय अधिवेशन

9, 11 जनवरी 1984 को हैदराबाद में सम्मेलन हुआ। उस समय तक यूनियनों की कुल संख्या 2, 007 और सदस्यों की संख्या करीब 20 लाख 54 हजार हो गई।¹⁵

आठवाँ अखिल भारतीय अधिवेशन

भामस का आठवाँ अखिल भारतीय अधिवेशन 26-28 दिसम्बर 1987 को बेंगलूर (कर्नाटक) में हुआ, उस अधिवेशन में महामंत्री के रिपोर्ट में बताया गया कि यूनियनों की कुल संख्या 2,535 तथा सदस्या संख्या 32,86,559 लाख पहुँच गयी है।¹⁶

¹⁴ भारतीय मजदूर संघ का छठा अधिवेशन, कलकत्ता, पृ.-16

¹⁵ भारतीय मजदूर संघ का छठा अधिवेशन, हैदराबाद, पृ.-60

¹⁶ भारतीय मजदूर संघ का छठा अधिवेशन, बेंगलूर, पृ.-60

भामस के इशारे पर जो कार्यक्रम हुए, उनके अलावा संबद्ध महासंघों ने भी अकेले में या दूसरे संगठनों के साथ मिलकर आन्दोलनात्मक कार्यक्रम संपन्न किए, इनमें डाक-तार, रेल, प्रतिरक्षा और सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर 1984 की सितम्बर 26 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया, इसे आखिरी क्षण में वापस लेना पड़ा क्योंकि सरकार ने कई मांगे मान लीं। 1986 की फरवरी 11 को दिल्ली में परिवहन की दरों को एकाएक बढ़ाने के खिलाफ मजदूर संगठनों ने और राजनैतिक दलों ने दिल्ली बंद का आयोजन किया। साथ ही भारत बंद में भाग लिया। इसी तरह दूरसंचार विभाग के टेक्नीशियनों ने अपने वेतन परिष्करण और विभागीय स्थान मान के ढाँचे को सुधारने के लिए 1986 से 87 तक आंदोलन किया। अक्टूबर 1986 में 15 दिन के वेतन का तदर्थ बोनस घोषित किए जाने के खिलाफ प्रतिरक्षा और डाक-तार के कर्मियों ने एक दिन की हड़ताल की।

महिला विभाग

भामस की महिला विभाग इकाई जिसकी स्थापना 1981 में कलकत्ता में सम्पन्न छठे अधिवेशन के समय हुई थी, इस अवधि में कुछ सक्रिय हुई परन्तु फिर भी इसकी प्रगति अधिक नहीं है। 1987 अप्रैल के अंत में त्रिदिवसीय गोष्ठी का आई. एल. ओ. के सहयोग से बम्बई में सम्पन्न होना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। उसका परिणाम हुआ कि उसमें भाग लेने वाले सदस्यों ने महिला विभाग की नई शाखा खालेने की जिम्मेदार वहन करने में दिलचस्पी दिखाई।

राज्य स्तर पर दो दिन का अध्यास वर्ग नासिक में केवल महाराष्ट्र बिजली बोर्ड की महिला कर्मचारियों के लिए लगाया गया।

उड़ीसा में आँगनबाड़ी की महिला कर्मचारियों ने महिला विभाग की शाखा चालू करने का काम किया।

भामस का अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

भामस किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक महासंघ से संबद्ध नहीं है। भामस के प्रतिनिधियों कई देशों के श्रमिक संघों के आमंत्रण पर उनके अधिवेशों एवं विचारगोष्ठियों में भाग लिया है तथा विभिन्न देशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भी अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भामस

सदस्यता सत्यापन में भारतीय मजदूर संघ द्वितीय सर्वाधिक सदस्यों वाला संगठन बनने के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों के भारतीय प्रतिनिधि मंडल में मजदूरों के नुमाइंदों को चुनने की पद्धति में भारत सरकार को पहल करनी पड़ी। 1984 के बाद हर साल भामस प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया जाने लगा। इसके अलावा निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भामस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया-

1. एशियायी क्षेत्रीय सम्मेलन, जकार्ता दिसम्बर, 1986
2. वेतनभोगी कर्मचारियों की समिति, 1984
3. आंतरिक परिवहन समिति, जनवरी, 1985
4. लकड़ी और जंगलीय उद्योग, सितम्बर, 1985
5. इस्पात समित, दिसम्बर, 1986
6. निर्माण कार्य और सिविल इंजीनियरिंग समिति, मार्च-अप्रैल, 1987

राष्ट्रीय अभियान समिति और भामस

1. आठ श्रम संगठनोंकी संयुक्त राष्ट्रीय अभियान समिति काफी क्रियाशील रही। महँगाई भत्ते की दर को बढ़ाने के लिए 84 के अप्रैल 18 को संसद के सामने एक प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसमें भामस की अच्छी संख्या थी।
2. विश्व बाजार तेल की कीमत जब गिरी थी, भारत ने तेल पदार्थों की कीमत बढ़ाई। आम जनता ने रोष प्रकट किया। रा.अ.स. ने इस अवसर पर 26 फरवरी, 1986 को सारा औद्योगिक भारत बंद करवाया।
3. मजदूरों के सामने जो समान मुद्दे हैं उनके बारे में श्रम संगठनों में पूर्ण एकता होनी चाहिए। यह भामस का विचार रहा और उसने सतर्कता रखी।
 - (क) मजदूरों के मुद्दे राजनीतिकरण के कारण कमजोर न हो।
 - (ख) सभी संगठन एक जैसा महत्व पाएं।
 - (ग) सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया जाय।
 - (घ) नीचे के स्तर पर भी मजदूर एकता कायम हो।
4. इसी तरह सीमेंट उद्योग में पंचायत मंडल के गठन के खिलाफ जो एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का निर्णय लिया गया था उसे केवल भामस यूनियनों ने ही लागू किया।

असंगठित शहरी मजदूर

ग्रामीण किसानों अलावा शहरी मजदूरों का बड़ा भाग असंगठित है। बम्बई में भामसने धरेलू कामगारों को संगठित किया है जिन पर कोई नियम नहीं लागू है। उन्हें बोनस और ग्रेज्युटी दिलवायी। राज्य के श्रम मंत्री ने इन मजदूरों के लिए नियम बनाने की बात कही।

ग्रामीण मजदूर

ग्रामीण एवं कृषि मजदूर यूनियन कई प्रदेशों में बनी हैं परन्तु उनकी अब तक की उपलब्धियाँ ठीक नहीं हैं। कुछ राज्यों में संगठित कृषि फर्मर्स या कृषि विश्वविद्यालय के फार्म पर कार्य करने वाले मजदूरों को इस दायरे में लिया गया है। भूमिहीन मजदूर तथा छोटे गरीब किसानों को इस परिधि में रखा है। भामस का यह विचार हो रहा है कि कृषि मजदूरों को बड़े पैमाने पर संगठित किया जाय।

कल्याणकारी कार्य

भारतीय मजदूर संघ ने समाज सेवा जैसे कल्याणकारी कार्य भी शुरू किए हैं। कोयला खदान क्षेत्र में इसने कुछ प्राथमिक स्कूल शुरू किए हैं, इसी तरह खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में भी यूनियन प्राइमरी स्कूल चला रही है। बजली कर्मचारी यूनियन ने महाराष्ट्र में कल्याणकारी योजना, एक कल्याणकारी कोष, आकस्मिक मृत्यु एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के हेतु स्थापित किया है। कर्नाटक के हरिहर में किलॉस्कर मजदूर संघ ने एक कल्याणकारी कोष की स्थापना की है। पुणे में भामस ने सामाजिक कार्य किए हैं। यहाँ नेत्र शिविर का आयोजन किया। हैदराबाद में भामस की आन्ध्र बैंक कायूनियन ने नेत्रदान शिविर लगाए गए। झांसी में मध्यरेलवे कर्मचारी संघ ने आवास सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। बम्बई के नजदीक मुलुण्ड में भामस ने एक आवासीय कम्प्लेक्स, जिसका

नाम दीनदयाल नगर रखा, बनाया गया है। इसी तरह हैदराबाद में राम नरेश सिंह आवासीय कालोनी बनकर तैयार है। कई यूनियनों उपभोक्ता सोसाइटीयां चला रही हैं। भामस वहां ऋण बैंक सोसाइटी भी चला रहा है।

बुलढाणा जिले में खेतिहर मजदूर संघ ने पीने के पानी की व्यवस्था, दवाओं की व्यवस्था और स्कूल-भवन बनाने की व्यवस्था भी भामस ने की है।

ग्रामीण मजदूरों की तरक्की कराने की दृष्टि से राम नरेश स्मारक न्यास का गठन भी किया गया है।¹⁷

भामस की प्रगति आँकड़ों के आईने में

ऊपर कैवर्णन से भामस की प्रगति का पता चलता है। इस संदर्भ में प्राप्त आंकड़ों को सारणी 2 में दर्शाया गया है। सारणी 2 में संबद्ध यूनियनों की संख्या तथा सारणी 3 में सदस्य संख्या के आधार पर भामस की प्रगति अंकित है।

सारणी-2 के आंकड़ों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि सभी राज्यों में भामस की संबद्ध यूनियनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यूनियनों की संख्या सबसे अधिक (416) उत्तर प्रदेश में है तथा सबसे कम गोवा, नागालैण्ड और त्रिपुरा में है।

सारणी-3 में भामस की सदस्य संख्या अंकित है। भामस के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन (1967) के समय यह करीब 2 लाख 47 हजार थी जो द्वितीय अधिवेशन

¹⁷ भारतीय मजदूर संघ आठवां अधिवेशन, बेंगलूर पृ.24

(1970) में 4 लाख 56 हजार, चतुर्थ अधिवेशन (1975) में 8 लाख 40 हजार, पाँचवे अधिवेशन (1978) में 10 लाख 83 हजार, छठे अधिवेशन (1981) में 18 लाख 6 हजार, सातवें अधिवेशन (1984) में 20 लाख 54 हजार तथा आठवें अधिवेशन (1987) में 32 लाख 87 हजार होगई। ये आंकड़ इस बात से सबूत हैं कि भूमस ने द्रुत गति से प्रगति की है सभी राज्यों में इसकी सदस्यता संख्या तेजी से बढ़ी है। सदस्यता संख्या के आधार पर दिल्ली का स्थान प्रथम, उत्तर प्रदेश का द्वितीय तथा बिहार का तृतीय है। गोवा तथा नागालैण्ड में इसकी सदस्य संख्या सौ में है।

सारणी-2

भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध यूनियनों की प्रदेशवार संख्या

क्र.सं	प्रान्त	1 1967	2 1970	3 1975	4 1978	5 1981	6 1984	7 1987
1.	तमिलनाडु	5	5	6	2	8	7	16
2.	केरल	1	10	34	50	36	45	123
3.	पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	2
4.	कर्नाटक	-	-	77	63	81	92	108
5.	आंध्र प्रदेश	10	31	57	75	74	150	235
6.	गोवा	-	-	1	-	-	1	1
7.	महाराष्ट्र	68	111	124	123	154	160	175
8.	विदर्भ	54	54	52	45	47	68	82
9.	गुजरात	13	14	22	28	37	38	66
10.	मध्य प्रदेश	32	105	137	144	177	155	164
11.	राजस्थान	43	66	52	205	150	224	155
12.	हरियाणा	25	30	52	62	73	86	108
13.	दिल्ली	40	55	90	76	115	101	91
14.	चण्डीगढ़	6	8	23	10	17	17	21
15.	हिमाचल	-	6	12	18	19	26	46
16.	पंजाब	40	120	135	142	168	167	184
17.	जम्मू-कश्मीर	-	1	7	7	17	18	23
18.	उत्तर प्रदेश	149	174	258	292	352	384	416
19.	बिहार	21	32	60	66	81	101	152

क्रमशः.....

20.	उड़ीसा	1	4	8	1 1	1 7	1 4	1 5
21.	बंगाल	1 4	36	92	1 1 6	1 38	1 35	148
22.	असम	1	6	1 4	1 0	1 2	1 6	20
23	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	1	1
24.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	1	1
	योग	541	899	1313	1555	1775	2067	2353

सारणी-3

भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध यूनियनों की प्रदेशवार संख्या

क्र. सं.	प्रान्त	1 967	1 970	1 975	1 978	1981	1 984	1 987
1 .	तमिलनाडु	500	2000	6000	26500	31325	1 2600	31335
2.	केरल	50	1 000	3600	5525	7500	8734	2961 6
3.	पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	1 04
4.	कर्नाटक	-	-	25630	26000	421 28	50000	90030
5.	आंध्र प्रदेश	1 2000	30000	38000	47000	53212	110500	249294
6.	गोवा	-	-	600	-	-	1 68	300
7.	महाराष्ट्र	5 1 1 43	91 000	121000	113074	135685	149300	215564
8.	विदर्भ	9500	1 500	39000	1 3043	76450	82786	105758
9.	गुजरात	1 000	5000	1 0751	1 5500	1 8000	20000	24762
1 0.	मध्य प्रदेश	8757	35000	42381	75000	98440	122000	167790
11	राजस्थान	23100	40000	85287	190000	121229	136160	230956
1 2.	हरियाणा	6000	1 1 500	1 5000	42000 ,	3631 0	43508	69103
1 3.	दिल्ली	451 43	60000	105051	107230	419206	412983	655215
1 4.	चण्डीगढ़	850	1 500	2850	443,0	3887	3900	4000
1 5.	हिमाचल	-	1 000	6000	1 0000	18186	20000	30159
1 6.	पंजाब	1 0759	30000	74373	90000	95000	110000	130204
1 7.	जम्मू-कश्मीर	-	1 00	2750	1 500	5775	61 42	1 6064
1 8.	उत्तर प्रदेश	43000	63000	114251	140000	272665	345000	542984
1 9.	बिहार	25000	42000	75000	90325	188284	221241	422848
20.	उड़ीसा	800	3500	2274	3000	8271	1 1 549	5987
21.	बंगाल	1300	10000	601 25	38109	102130	113781	158751
22.	असम	2000	5000	9500	45252	70112	71 254	104585
23	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	115	350
24.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	2000	800
	योग	246902	456100	839423	1083488	1805910	2053721	3286559

भारतीय श्रम संघ आन्दोलन में भामस का स्थान

भामस एक राष्ट्रीय महासंघ है जिसका नाम महासंघों की सूची में विधिवत 1967 में दर्ज हुआ। इस 20 वर्षों की अवधि में भामस ने आशातीत प्रगति की है तथा महासंघों की सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सरकार द्वारा विभिन्न महासंघों द्वारा प्रस्तुत यूनियनों तथा सदस्यों की संख्या के दावे की 1980 में जांच पड़ताल हुई तथा यूनियनों को सदस्य संख्या की प्रमाणित एवं सत्यापित प्रति प्रकाशित की गई। केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के दावे तथा प्रमाणित सदस्य संख्या का विवरण 2.3 में प्रस्तुत है।

सारणी 4 में आकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय महासंघों में सदस्य संख्या के आधार पर इंटक का स्थान प्रथम है। इसके संबद्ध यूनियनों की संख्या 1604 तथा उनकी सदस्य संख्या 22 लाख 36 हजार है। इस संदर्भ में भामस का स्थान द्वितीय है जिसके यूनियनों की संख्या 1333 है तथा सदस्यों की संख्या 12 लाख 11 हजार है। अन्य महासंघों की स्थिति भी सारणी में दर्शाई गई है। सबसे प्राचीन महासंघ एटक का नौवें स्थान पर तथा एक प्रभावशाली वामपंथी महासंघ सीटू का दसवें स्थान पर होना कतिपय प्रश्न खड़ा होता है। इन महासंघों ने सत्यापन प्रक्रिया का बहिष्कार किया तथा अपने दावे प्रस्तुत नहीं किए। सम्मिलित संख्या श्रमिक संघों के रजिस्टार से प्राप्त की गई। विभिन्न विद्वानों तथा श्रम संघ के नेताओं ने सरकार द्वारा प्रकाशित महासंघों की सदस्य शक्ति पर अलग-अलग टिप्पणी की।

जनसत्ता के एक विशेष संवाददाता नेट “मजदूर संगठनों में कम्युनिष्ट पार्टियों की पैठ घटी” नामक शीर्षक के अन्तर्गत सत्यापित सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला।

देश के औद्योगिक मजदूरों पर से कम्युनिस्ट मजदूर संगठनों का असर तेजी से घट रहा है। इनकी जगह कांग्रेस-ई से जुड़ी इंटक, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ और दूसरे निर्दलीय संगठन लेते जा रहे हैं।

सारणी-4

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की सत्यापित सदस्य संख्या

STATEMENT SHOWING CLAIMED AND VERIFIED MEMBERSHIPS FIGURES OF CENTRAL
TRADE UNION ORGANISATIONS FOR THE YEAR ENDING 31-12-80

S. No.	Name of Central Organisation	Claimed		Provisional		Final verified	
		No. of Unions	Membership	No. of Unions	Membership	No. of Unions	Membership
1.	INTUC	3,457	35,09,326	1,604	22,36,128 [@]	1,604 [@]	22,36,128 [@]
2.	BMS	1,725	18,79,728	1,333 [@]	12,11,345 [@]	1,333 [@]	12,11,345 [@]
3.	HMS	1,122	18,48,147	409	7,35,027	426	7,62,882
4.	UTUC (LS)	154	12,38,891	134	6,21,359	134	6,21,359
5.	NLO	249	4,05,189	172	2,46,540	172	2,46,540
6.	UTUC	618	6,08,052	158	35,384	175	1,65,614
7.	TUCC	188	2,72,229	63	14,570	65	1,23,048
8.	NFITU	166	5,27,375	80	84,123	80	84,123
9.	AITUC	1,366*	10,64,330*	1,080	3,44,746	1,080	3,44,746
10.	crru	1,737*	10,33,432*	1,474	3,31,031	1,474	3,31,031
	TOTAL	10,776	1,23,86,699	6,507	58,60,253	6,543	61,26,816

[@] The above figures do not include the membership figures of 13 unions of the BMS and one of the INTU in the Posts & Telegraphs Department on objection has been raised in this regard. A final decision in this regard will be taken after further examination of the issue.

* The figures shown as claimed membership of AITUC and CITU have been obtained from the records of respective Registers of Trade Unions as these unions have failed to submit them.

केन्द्रीय श्रम आयुक्त के सर्वेक्षण के ओकड़ों से यह नतीजा निकलता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि “ सीटू और एटक ने सर्वेक्षण के दौरान अपने सदस्यों की पूरी सूचियां

पेश नहीं की, जबकि ये संगठन अपने सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा होने का दावा करते हैं।¹⁸

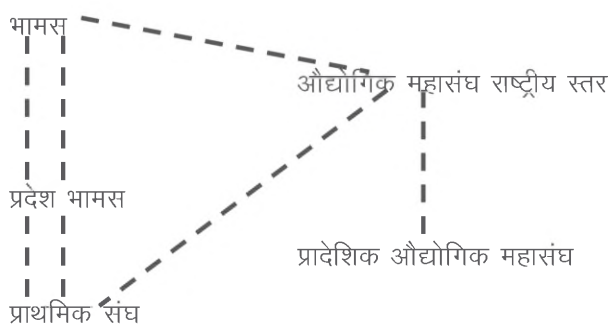
भामस की संरचना एवं प्रशासन

प्रस्तुत खण्ड में भामस की संगठनात्मक रूप रेखा तथा प्रशासकीय ढाँचा पर प्रकाश डाला गया है।

संगठनात्मक ढाँचा

केन्द्रीय संगठन के नाते भारतीय मजदूर संघ सभी सम्बद्ध यूनियनों और महासंघों से सर्वोपरि है। यह सभी सम्बन्धित महासंघों व यूनियनों के अनुसरण के लिए नीतियों का निर्धारण करता है। संगठनात्मक एवं नीति-निर्धारण सम्बन्धी मामलों में भामस का दृष्टिकोण मार्ग दर्शक का कार्य करता है। भामस की संरचना को निम्नलिखित रेखा चित्र में प्रस्तुत किया जा रहा है।

रेखा चित्र-1



¹⁸ जनसत्ता, 24 अगस्त, 1985 पृष्ठ- 1,

रेखा-चित्र 1 से यह स्पष्ट होता है कि भामस महासंघ होने के नाते शीर्ष स्थान पर हौ सभी संघ एवं महासंघ इससे संबद्ध इकाइयों में सबसे निम्न स्थान पर प्राथमिक संघ किसी खास कारखाना या औद्योगिक इकाई में कार्य करते हैं। प्राथमिक संघ प्रदेश भामस या प्रादेशिक औद्योगिक महासंघ या दोनों ही से संबद्ध होते हैं। कुछ प्राथमिक संघ ऐसे भी है जो सीधे भामस से ही संबद्ध हैं। प्रदश भामस, भामस की प्रदेश शाखा के रूप में काम करता हौ कुछ प्रदेश में औद्योगिक महासंघों की भी स्थापना हुई जो राष्ट्रीय औद्योगिक महासंघों से संबद्ध है। राष्ट्रीय औद्योगिक महासंघ भामस से सम्बद्ध है। स्पष्ट है किह भामस की संरचना में प्राथमिक संघों का स्थान महत्वपूर्ण है। सम्पूर्ण संगठनात्मक ढाँचा की वे आधारशिलाएं हैं।

भामस की कार्य समिति को प्रादेशिक इकाइयों तथा राष्ट्रीय औद्योगिक संघों के गठन का अधिकार प्राप्त है। प्रदेश भामस तथा राष्ट्रीय औद्योगिक संघ के विधान तो अपने होते हैं लेकिन कसी भी हालत में भामस के विधान के प्रतिकूल नहीं होते। प्रदेश भामस तथा राष्ट्रीय औद्योगिक संघों पर भामस को नियंत्रण होता है तथा इनका अपने घटकों पर। प्रदेश भामस और राष्ट्रीय औद्योगिक संघों को अपने परीक्षित लेखा सहित अपने गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन भामस की कार्य समिति को भेजना पड़ता है। भामस की कार्य समिति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी निलम्बित कर सकता है। वह निलम्बित इकाई के कार्य-संचालन के लिए तदर्थ समिति का गठन कर सकती है। निलम्बन संबंधी कार्यवाई का अनुमोदन प्रतिनिधि सभा द्वारा होना आवश्यक है।

(क) सम्बद्धता की पात्रता: भामस की सम्बद्धता प्राप्त करने की निम्नलिखित शर्तें हैं-

- (1) सम्बद्धता प्राप्त करने की इच्छुक यूनियन को भामस के लक्ष्यों, उद्देश्यों, साधनों और विधान को स्वीकार करना होगा।
 - (2) उसे श्रमिक संघवाद (Trade unionism) को राष्ट्रीय सेवा के एक प्रभावी साधन के रूप में स्वीकार करना होगा।
 - (3) यूनियन या संघों से सम्बद्ध यूनियनों की सदस्यता शुल्क की दरें एक रुपया प्रतिमास से कम न होगी। लेकिन संघ की कार्य समिति, सम्बद्धता के लिए कम चन्दा दर रखने वाले संघों-यूनियनों के सम्बद्धता संबंधी प्रार्थन-पत्रों पर विचार कर सकती है।
 - (4) यूनियनों संघों को भामस द्वारा निर्धारित प्रात्र पर दस रुपए शुल्क के साथ प्रार्थना पत्र अपने प्रदेश की भामस की काग्र समिति अथवा जहाँ यह न हो वहाँ सम्बन्धित क्षेत्रीय मंत्री के माध्यम से देना होगा। उपबन्ध है कि अखिल भारतीय औद्योगिक महासंघ अपना या अपने अखिल भारतीय घटक का प्रार्थना पत्र सीधे भामस को प्रेषित कर सकता है।¹⁹
 - (5) अपने विधान की एक प्रति, अपने पदाधिकारियों की एक सूची और अन्य जानकारी प्रदान करेगा, जो कार्य समिति निर्धारित करेगी।
- (ख) यूनियन/ संघ के प्रार्थना पत्र को संगत पत्रों के साथ प्रदेश भारतीय मजदूर संघ या सम्बन्धित क्षेत्रीय संगठन या अखिल भारतीय औद्योगिक संघ, अपनी सिफारिशों के साथ आवश्यक कागज पत्रों सहित भेजेगा। प्रार्थना पत्र की शर्तों के बारे में संतुष्ट होने के बाद संघ का केन्द्रीय कार्यालय, इस शर्त पर संघ को

¹⁹ भारतीय मजदूर संघ, विधान, पृ. 4

अस्थाई रूप से सम्बद्ध कर लेगा कि कार्य समिति अपनी अगली बैठक में इसे स्वीकार कर ले। तब केन्द्रीय कार्यालय सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी करेगा।²⁰

(ग) संघ की कार्य समिति को, सम्बद्धता के किसी भी प्रार्थना पत्र को लिखित कारण देकर ही अस्वीकार करने का अधिकार होगा। प्रभावित संघ को इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिनिधि सभा के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।²¹

(घ) संघ की कार्य समिति को, किसी यूनियन को सम्बद्धता शुल्क न दे सकने की स्थिति में, निश्चित समय के भीतर केन्द्रांश अथवा विशेष संग्रह न दे पाने की दशा में अथवा कोई अनियमितता होने, विधान का अतिक्रमण किए जाने अथवा समिति के मत में भामस के हितों के लिए हानिकर होने की दशा में याथेचित सूचना देकर असम्बद्ध करने का अधिकार होगा।

असम्बन्धित की गई यूनियन को भामस की प्रतिनिधि सभा के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(ङ) केवल सम्बद्धता शुल्क, अनुदान या विशेष लेवी न दे सकने के कारण सम्बद्ध यूनियन को पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि वह अपनी उस समस्त बकाया राशि का भुगतान कर दें, जो यूनियन को सम्बद्धता को अधिकार होगा कि वह पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व किसी भी यूनियन को पिछले बकाया के पूर्ण या आंशिक भुगतान से मुक्त कर दे।

²⁰ भारतीय मजदूर संघ, विधान, पृ. 5

²¹ भारतीय मजदूर संघ, विधान, पृ. 5

- (छ) जो यूनियन सम्बद्धता खो देगी उसके वे समस्त अधिकार खत्म हो जाएंगे जो सम्बद्ध यूनियनों के होते हैं²²
- (ज) भामस को तीन मास की नोटिस दिए बिना किसी भी यूनियन को अपनी सम्बद्धता वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

प्रशासकीय ढाँचा

भामस के प्रशासकीय ढाँचे का रेखा चित्र 2.2 में पुस्तुत किया गया है। स्पष्ट है कि भामस के प्रशासन के तीन मुख्य अंग हैं। प्रतिनिधि सभा, कार्य समिति एवं स्थाई समिति।

रेखा चित्र 2

प्रशासकीय संरचना

प्रतिनिधि सभा



कार्य समिति



स्थायी समिति



अन्य समितियाँ

(वित्त, प्रत्यय पत्र, वैदेशिक संबंध, शिक्षा, अनुसंधान औद्योगिक संबंध)

²² भारतीय मजदूर संघ, विधान, पृ. 6

प्रशासकीय अंगों के अधिकारों एवं जिम्मेदारियों पर यहाँ प्रकाश डाला गया है।

प्रतिनिधि सभा

यह भामस का सर्वोच्च नीति निर्मात्री निर्णायक और अनुशासनिक निकाय है। संघ की प्रतिनिधि सभा की सामान्य बैठक आमतौर पर दो वर्षों के पश्चात होती है। प्रतिनिधि सभा का विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है²³

- (1) प्रत्येक यूनियन के 50 सदस्यों पर 1 प्रतिनिधि और इसके बाद 500 सदस्यों तक की संख्या पर प्रत्येक 100 पर व बचे हुए बड़े भाग (50 या अधिक) पर एक-एक प्रतिनिधि और चुने जाते हैं। यदि सदस्य संख्या 2000 तक है तो 250 पर एक-एक चुने जाते हैं। सदस्य संख्या 5000 तक हो तो प्रत्येक 500 पर एक-एक प्रतिनिधि। यदि 15000 हो तो प्रत्येक एक हजार पर व बचे हुए भाग पर एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 15000 से ऊपर सदस्य हो तो 25000 पर एक का चुनाव होता है²⁴
- (2) प्रतिनिधि सभा की द्विवार्षिक साधारण बैठक महामंत्री की रिपोर्ट तथा पिछले दो वर्षों के लेखा परीक्षित लेखा के विवरण को प्राप्त ओर पारित करती है ओर आगामी दो वर्षों के लिए अनुमानित बजट को पास करती है।
- (3) प्रतिनिधि सभा अपनी द्विवार्षिक साधारण सभा में कार्य समिति के निम्न पदाधिकारियों का चुनाव करती है।

²³ भारतीय मजदूर संघ, विधान, पृ. 8

²⁴ भारतीय मजदूर संघ, विधान, पृ. 9

1. अध्यक्ष - एक
2. चार से अनधिक उपाध्यक्ष
3. महामंत्री - एक
4. चार से अनधिक मंत्री
5. उप- वित्त मंत्री - एक

कार्य समिति

(क) प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी तथा निम्नलिखित सदस्य कार्य समिति में होते हैं-

- (1) महामंत्री द्वारा नामजद अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय संगठन मंत्री एवं कार्यालय मंत्री।
- (2) प्रदेश भारतीय मजदूर संघ इकाइयों के महामंत्री।
- (3) भामस से सम्बन्धित राष्ट्रीय औद्योगिक संघों के महामंत्री।
- (4) कार्य समिति द्वारा सहयोजित अधिक से अधिक ग्यारह अन्य सदस्य।

- (ख) (1) कार्य समिति प्रतिनिधि सभा के प्रस्तावों एवं निर्देशों के अनुसार भामस के सामान् प्रशासन तथा कार्य को चलाने के लिए सभी आवश्यक और उचित कदम उठाती है।
- (2) अन्य समितियों के साथ-साथ निम्नलिखित समितियों की भी नियुक्ति करती है।

- (क) वित्त समिति
- (ख) प्रत्ययपत्र समिति
- (ग) वैदेशिक सम्बन्ध समिति
- (घ) शिक्षा समिति
- (ङ) अनुसंधान समिति
- (च) औद्योगिक सम्बन्ध समिति

- (3) प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु तिथियों की घोषणा और प्रक्रिया का निर्धारण करती है।
- (4) यूनियनों की सम्बद्धता के और प्रदेश व अन्य क्षेत्रीय निकायों, औद्योगिक संघों तथा स्थायी समिति के संघटन व कार्यों के लिए नियम निर्धारित करती है।
- (5) प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन की तिथियां, स्थान विषय-सूची निश्चित व घोषित करती है।²⁵
- (6) संघ के समस्त संघटन इकायों के कार्य तथा व्यवहार को निर्देशित तथा विनियमित करती है।
- (7) उचित निर्णय तथा कार्य करके कसी भी आकस्मिक बात का सामना करती है।
- (8) सामान्यतः ऐसे सभी कार्य करती है जिनका उद्देश्य सामान्य रूप में मजदूरों के तथा विशिष्ट रूप में “संघ” के हितों की रक्षा एवं संवर्धन करना है।

²⁵ भारतीय मजदूर संघ, विधान, पृ. 10

- (9) कार्य समिति की बैठक कम से कम 6 मास में एक बार अवश्य होती है। कार्य समिति का कोरम कार्य समिति की सदस्य संख्या का एक तिहाई होता है।²⁶

भामस की स्थाई समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं।

कार्य समिति के पदाधिकारी और क्षेत्रीय संगठन मंत्री। यह समिति कार्य समिति के निर्णयों को लागू करने व उचित क्रियान्वयन हेतु समय समय पर आवश्यकतानुसार मिला करती है।²⁷

भामस की विचारधारा

भामस का उद्गम स्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है अतः यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को मजदूर वर्ग में पल्लवित एवं पुष्पित करने में संलग्न है।

चिन्तन प्रक्रिया

भामस के संस्थापक महामंत्री दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भामस की चिन्तन प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। उनके द्वारा प्रितपादित चिंतन प्रक्रिया की रूप रेखा यहाँ प्रस्तुत है-

²⁶ भारतीय मजदूर संघ, विधान, पृ. 11

²⁷ भारतीय मजदूर संघ, विधान, पृ. 11

रेखा चित्र-3

चिंतन प्रक्रिया²⁸

विचारधारा

उसके प्रकाश में

अन्तिम लक्ष्य

उसके प्रकाश में

तात्कालिक उद्देश्य

उसके प्रकाश में

नीति

रणनीति

उसके प्रकाश में

रण युक्ति

उसके प्रकाश में

तात्कालिक कार्यक्रम

भामस की चिन्तन प्रक्रिया में शीर्ष स्थान पर विचारधारा है। विचारधारा के बाद आता है अन्तिम लक्ष्य। इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना भामस का चरम लक्ष्य है। आज की परिस्थिति के अनुकूल तात्कालिक लक्ष्य निर्धारित होंगे। तात्कालिक लक्ष्य के प्रकाश में भामस अपनी नीति का निर्धारण करता है। भामस ने यह नीति निर्धारित की है कि स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में हिंसा और तोड़फोड़ का कोई स्थान नहीं है। भामस ने वर्ग संघर्ष को अस्वीकार कर दिया। कहा कि उसका अन्तिम परिणाम राष्ट्र का विघटन

²⁸ दत्तोपंत ठेंगड़ी, सप्तक्र, प्रारंभिक पृष्ठ

है। जहाँ तक भारतीय मजदूर संघ की नीति का प्रश्न है वह न तो कोरा संघर्षवादी है और न कोरा समन्वयवादी। उसकी नीति रिस्पान्सिव कॉपरेशन की है अर्थात् “जितना तुम करोगे उतना हम करेंगे”²⁹ इसका अर्थ यह है कि जितनी मात्रा में सरकार श्रमिकों के साथ सहयोग करेगी उतनी मात्रा में श्रमिक सरकार के साथ सहयोग करेंगे।

नीति के बाद समर नीति का स्थान आता है। भामस यह महसूस करता है किह सम्पूर्ण शासन एवं स्वामी वर्ग से वह अभी अकेला नहीं लड़ सकता।³⁰ अतः यह संयुक्त मोर्चा के निर्माण के प्रति सहमति व्यक्त करता है। संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित होना या न होना परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है।

समर नीति की अनुगामिनी के रूप में रणयुक्ति भी साथ-साथ प्रकट होती है रणयुक्ति यह बतलाती है कि किस परिस्थिति में भामस का व्यवहार कैसा होगा। रणयुक्ति के आलोक में भामस तात्कालिक कार्यक्रम निर्धारित करता है।

भामस की इस चिन्तन प्रक्रिया को उर्ध्वगामी तथा उद्योगगामी दोनों ही रूपों में देखा जा सकता है। इसके उर्ध्वगामी स्वरूप की व्याख्या उत्तोपंत ठेंगड़ी ने निम्नलिखित ढंग से की है-

“हम जो कार्यक्रम निश्चित करें, वे रणयुक्ति के प्रतिकूल न हों, जो रणयुक्ति निश्चित करें वह समर नीति के अनुकूल हो, इसके विपरीत न हो, जो समरनीति निर्धारित करें वह सामान्य नीति के अनुरूप और पोषक हो, सामान्य नीति तात्कालिक लक्ष्यों की पूर्ति की ओर ले जाने वाली हो, किसी भी प्रकार उसके माग्न में बाधक न हो। ये तात्कालिक

²⁹ दत्तोपंत ठेंगड़ी, सप्तक्र, पृ. 163

³⁰ दत्तोपंत ठेंगड़ी, सप्तक्र, पृ. 164

लक्ष्य अन्तिम लक्ष्य की ओर हमें अग्रसर करने वाले हों और अन्तिम लक्ष्य अपने अधिष्ठान अथवा विचारधारा की ओर उन्मुख हो।"³¹

भामस के लक्ष्य एवं उद्देश्य

भामस की विचारधारा की झलक उसके संविधान में अंकित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में भी मिलती है। अतः यहाँ भामस के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रस्तुत करना अनुचित न होगा। ये लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

(1) लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार होंगे

अंततोगत्वा भारतीय समाज रचना की स्थापना करना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातों की भी सुरक्षा होगी:

- (क) पूर्ण रोजगार तथा अधिकतम उत्पादन हेतु जनशक्ति तथा साधनों का पूर्ण उपयोग।
- (ख) लाभ की वृत्ति को हटाकर सेवावृत्ति को स्थान देना तथा आर्थिक जनतंत्र की स्थापना जिसके परिणाम स्वरूप समस्त सम्पदा का एक ऐसा समान वितरण हो जो व्यक्ति और समग्र राष्ट्र के हित में हो।
- (ग) राष्ट्र के अविच्छिन्न अंग के रूप में स्वास्थ्यशासी औद्योगिक समुदायों का विकास करना, जिसकी परिणति उद्योगों के श्रमिकीकरण में हो।
- (घ) राष्ट्र के अधिकतम औद्योगीकरण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह योग्य काम देने का व्यवस्था करना।

- (2) अंततः उपर्युक्त उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त का साधन पैदा करना और साथ-साथ श्रमिकों को सामाजिक हितों से संगति रखते हुए अपने हितों की सुरक्षा तथा समुन्नति के लिए योगदान योग्य सशक्त बनाना:

- (क) धार्मिक विश्वासों और राजनीतिक संबंधों को परे रख कर मातृभूमि की सेवा के माध्यम के रूप में श्रमिकों को ट्रेड यूनियनों में संगठित होते हेतु सहायता करना।
- (ख) सम्बद्ध यूनियनों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, निर्देशन तथा निरीक्षण और समन्वय करना।
- (ग) सम्बद्ध यूनियनों को भारतीय मजदूर संघ की प्रादेशिक समितियों तथा औद्योगिक संघों के रूप में संगठित होने व फ़ैडरेशन को इकाई के रूप में सम्बद्ध होने में सहायता देना।
- (घ) ट्रेड यूनियन आन्दोलन में एकता स्थापित करना।

- (3) श्रमिकों के लिए निम्न बातों की उपलब्धि तथा संरक्षण करना:

- (क) काम तथा जीवन निर्वाह के अधिकार रोजगार की सुरक्षा का तथा सामाजिक सुरक्षा के अधिकार, ट्रेड यूनियन के कार्य करने के अधिकार तथा शिकायतें दूर करने के लिए ट्रेड यूनियन के सभी वैधानिक उपायों के निःशेष हो जाने पर अन्तिम शस्त्र के रूप में हड़ताल करने का अधिकार।

- (ख) न्यूनतम राष्ट्रीय आय से संगति रखते हुए जीवन निर्वाह योग्य वेतन तथा अपने - अपने उद्योग के साझीदार के रूप में उद्योग के लाभ में से समुचित अंश की प्राप्ति।
 - (घ) अन्य समुचित सुविधाएं।
 - (ङ) श्रमिक के हित में वर्तमान श्रम कानूनों को तेजी से लागू करवाना तथा उनमें उचित संशोधन करवाना।
 - (च) समय-समय पर मजदूर प्रतिनिधियों के परामर्श से नवीन श्रम कानूनों का निर्माण।
- (4) श्रमिकों के मन में सेवा, सहयोग तथा कर्तव्यपालन की भावना उत्पन्न करना तथा उनमें सामान्य: समूचे राष्ट्र के प्रति व विशेषतः उद्योग के प्रति उत्तरदायित्व की वृत्ति का निर्माण करना।
 - (5) श्रमिकों प्रशिक्षण कक्षाएं, स्वाध्याय मंडल, अतिथि भाषण, संगोष्ठियां परिभ्रमण आद आयोजित करके और केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा मंडल, श्रम अन्वेषण केन्द्र तथा विश्वविद्यालयों आदि संस्थाओं, संगठनों के सहयोग से, जिनके लक्ष्य और उद्देश्य संघ के जैसे ही हो, श्रमिकों को शिक्षित करना और पुस्तकालय आदि चलाना।
 - (6) मुख्यतः श्रमिकों और उनके हितों से सम्बन्ध रखने वा पत्र पत्रिकाएं, चित्र, पुस्तकें और अन्य प्रकार का साहित्य स्वयं प्रकाशित करना या दूसरों से कराना तथा मजदूर साहित्य की बिक्री, खरीद और प्रचार करना।
 - (7) श्रम अन्वेषण केन्द्र व इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों को संगठित करना, प्रोत्साहित करना और स्थापित करना।

- (8) सामान्यतः श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक और सामान्य स्थितियों के सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाना।
- (9) सामान्य रूप से आम लोगों तथा विशेष रूप से श्रमिकों व उनके परिवारों के सम्पूर्ण कल्याण के लिए सहकारी समितियों, कल्याण संस्थाओं, क्लबों इत्यादि की स्थापना करना या उनका सहायता देना।
- (10) कर्मचारियों के और उन स्वनियोजित (self-employed) व्यक्तियों के संगठनों समितियों या यूनियनों की गतिविधियों का निरीक्षण, मार्गदर्शन समन्वय व संगठन करना जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की परिधि में नहीं आते हैं।
- (11) ऐसे सब प्रकार के कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक या पूरक हों।³²

भारतीय मजदूर संघ के ध्येय की व्याख्या करते हुए संस्थापक एवं विचारक टेंगड़ी ने निम्नलिखित टिप्पणी की-

“भारतीय मजदूर संघ का लक्ष्य केवल एक यूनियन चलाने का नहीं है, संगठन के माध्यम से दलित-पीड़ित जनों की सेवा कर सकें, आर्थिक शोषण रोक सकें, उनके जीवन में सुनहरे दिन ला सकें और उसके लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता पड़े, वह भामस करेगाद्य अगर कानून उसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसको बढ़ावा नहीं दे सकता तो उस कानून को बदलवाने की कोशिश करना।

³² भारतीय मजदूर संघ, विधान, पृ. 1-4

जिस अर्थव्यवस्था में आज देश फँसा हुआ है, वह अर्थव्यवस्था अगर यह गारण्टी नहीं देती जिससे दलित-पीड़ित ऊपर उठ सकें तो इस अर्थव्यवस्था को बदल डालना।"³³

कुछ मुख्य धारणाएं

भारतीय मजदूर संघ ने श्रम आन्दोलन में कुछ नए एवं आकर्षक सिद्धान्त प्रस्तुत किए हैं, कुछ नए नारे दिए हैं तथा कुछ नए दृष्टिकोण रखे हैं। इस प्रभाग में इन सिद्धांतों, नारों एवं दृष्टिकोणों को संक्षिप्त रूप में रखने का प्रयास किया गया है।

(क) श्रम का राष्ट्रीयकरण		की धारणा
राष्ट्र का औद्योगीकरण		
उद्योग का श्रमिकीकरण		

भामस द्वारा प्रतिपादित इस धारणा में राष्ट्रीयकरण, औद्योगीकरण तथा श्रमिकीकरण की व्याख्या की गई है। श्रम के राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य है कि श्रमिकों के कार्य करने का मूल प्रेरणा देश भक्ति की भावना हो। दुसरे शब्दों में श्रमिक राष्ट्रनिर्माता हैं तथा उनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट-कूट कर भरी होनी चाहिए। यह भावना उनके संगठनों में भी इसी प्रकार भरी रहनी चाहिए। श्रमिक संगठनों का मूल उद्देश्य राष्ट्र उत्थान होना चाहिए।

³³ दत्तोपंत ठेंगड़ी, लक्ष्य और कार्य, पृ-39

भामस राष्ट्र के औद्योगीकरण का स्वागत करता है। औद्योगीकरण की रफ्तार तेज होनी चाहिए। औद्योगीकरण राष्ट्र की प्रगति के लिए तथा इसकी अन्यान्य समस्याओं के निदान के लिए अनिवार्य है। बिना औद्योगीकरण के देश दुनिया के मान चित्र पर सम्मान जनक स्थान नहीं प्राप्त कर सकता।

इस अवधारणा की तीसरी कड़ी है- उद्योग का श्रमिकीकरण। भामस उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर जोर न देकर उनके श्रमिकीकरण पर जोर देता है। राष्ट्रीयकरण में उद्योगों का स्वामित्व जहाँ राज्य के हाथ में चला जाता है वहाँ श्रमिकीकरण में इसका स्वामित्व श्रमिकों के हाथ में होता है। भामस के संस्थापक एवं विचारक श्री टेंगड़ी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है-

“ भारतीय संस्कृति के उद्घोषक के नाते भारतीय मजदूर संघ ने घोषित किया कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम से अर्जित लाभ का व्यय और निनिमय (केवल अपने प्रति उत्तरदायी) नियोजक द्वारा, साम्यवादी व्यवस्था में (पार्टी के प्रति उत्तरदायी) राज्य द्वारा और भारतीय व्यवस्था में (राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी) मजदूरों द्वारा किया जाता है। अर्थात् उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले लाभ का मुख्य भाग मजदूरों को मिलना चाहिए।”

इस संदर्भ में भामस ने सम्भावित कदमों का क्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया है।

मालिक - नौकर सम्बंध से प्रारम्भ होकर

अच्छा व्यवहार

संयुक्त परामर्श

संयुक्त व्यवस्थापन

स्वप्रबन्ध

स्वामित्व में साझेदारी के माध्यम से

मजदूरों के स्वामित्व तक³⁴

(ख) औद्योगिक स्वामित्व का ढाँचा

भारतीय मजदूर संघ का विश्वास है किह सभी प्रकार की सम्पत्ति का एक मात्र स्वाकी इश्वर है। व्यावहारिक स्तर पर भामस का यह मत है कि व्यक्तिगत पूंजीवाद का एक मात्र विकल्प “राष्ट्रीयकरण नहीं है, और न यह सभी औद्योगिक बामीरियों की एक मात्र रामबाण दवा है।” इस प्रकार इसने “पूर्ण, राष्ट्रीयकरण” तथा “राष्ट्रीयकरण नहीं” के दोनों छोरों को ठुकरा दिया है तथा औद्योगिक स्वामित्व के प्रकार पर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का आग्रह किया है।

भामस का औद्योगिक स्वामित्व के बारे में दृष्टिकांण उलझा हुआ है। भामस ने राष्ट्रीयकरण की आलोचना की है तथा न राष्ट्रीयकरण की भी आलोचना की है। लेकिनर औद्योगिक स्वामित्व के ढाँचे का कोई भी सुलझी हुई एवं स्पष्ट रूप-रेखा प्रस्तुत करने में विफल रहा है। ऐसा लगता है कि भामस जानबूझ कर मजदूरों को अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं कराना चाहता। वह जानता है कि राष्ट्रीयकरण के विपरीत होने से तथा निजीकरण के अनुकूल होने से उसे प्रति मजदूरों के आकर्षण पर बुरा बसर होगा। शायद इसीलिए शब्दों का महाजान तैयार किया गया है ताकि सभी तरह के मजदूरों को फंसाने की बराबर संभावना हो।

³⁴ दत्तोपंत ठेंगड़ी, भामस के बढ़ते चरण, पृ. 12

(ग) भामस के सैद्धान्तिक कथन एवं आदर्श वाक्य

मजदूर क्षेत्र में भामस ने अनेक सैद्धान्तिक कथनों एवं आदर्श वाक्यों को प्रचारित एवं प्रसारित किया । इन आदर्श वाक्यों से भामस की विचारधारा अभिव्यक्त होती है। ये आदर्श एवं कथन निम्नलिखित हैं-

“ राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, रचनात्मक प्रवेश, अवसरवादिता नहीं - आदर्शवाद, लोकातांत्रिक उपायों में आस्था, जाति, लिंग, पथ और समाज का विचार न कर प्रत्येक भारतीय को प्रवेश, संस्था का अराजनैतिक स्वरूप, वर्गवाद की कल्पना भ्रममूलक, पूंजीवाद एवं साम्यवाद दोनों से अलग मजदूर वर्ग को ले जाने का निश्चय, संस्था में पैसे और पसीने के शेयर का आग्रह तथा अधिकार और कर्तव्य का समन्वय, अधिकतम उत्पादन और बराबर लाभ, श्रमिक हित और राष्ट्रीय हितों में साम्य की मान्यता, हड़ताल का अन्तिम शस्त्र के रूप में उपयोग, परमेश्वर ही समस्त पूंजी का स्वामी है, पश्चिम की मान्यताएं, परिभाषाएं एवं आदर्शवाद की बौद्धिक दासता से छुटकारा, भारतीय समाज व्यवस्था एवं दार्शनिक सिद्धांत के विकास की योग्यता पर विश्वास आदि।³⁵

उपर्युक्त आदर्श वाक्य पर संबंधित दृष्टि डालने से भामस का समग्र दर्शन प्रकट होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भामस एक गैर- साम्यवादी संगठन है। इसने साम्यवादी दर्शन के आदर्श वाक्यों को भारतीयता और राष्ट्रीयता का सहारा लेकर विस्थापित करने का प्रयास किया है। इसने पूंजीवादी दृष्टिकोण की भी भर्त्सना की है लेकिन साम्यवाद और पूंजीवाद से हट कर भारतीय दर्शन एवं परम्परा के आलोक में भावी समाज का कोई

³⁵ भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश, श्रमिक स्मारिका, 1986

नया चित्र नहीं प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में भामस की दार्शनिक दरिद्रता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।

भामस के ये आदर्श वाक्य चाहे जितने भ्रामक एवं विरोधाभासी हों, भारतीय श्रमिक समाज में वंशीकरण मंत्र के समान कारगर सिद्ध हुए हैं। इन कथनों की सम्मोहन शक्ति ने श्रमिकों पर जादू-सार असर डाला है तथा वे भामस के आगोश में शनैः शनैः ही सही, लेकिन खिंचने चले आए। भामस की उत्तरोत्तर प्रगति एवं विशाल सदस्य संख्या का राज इन्हीं वंशीकरण मंत्रों में खोजा जा सकता है। इन कथनों एवं वाक्यों के श्रमिकों एवं नेताओं पर असर की व्यवहारिक जाँच भी की गयी है तथा इसके परिणामों की अध्याय छः एवं आठ में प्रस्तुत किया गया है।

(घ) प्रचलित नारे

किसी भी संस्था द्वारा प्रतिपादित, उद्घोषित एवं प्रचारित नारे उस संस्था की विचारधारा को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। नारे संगठन के सदस्यों में एकजुटता एवं भावात्मक एकता कायम करती है। नारों के द्वारा किसी भी संस्था की पहचान होती है। नारे गैर सदस्य श्रमिकों को अपनी सदस्यता की छत्रछाया में आने का खुला निमंत्रण देते हैं। भामस ने भी अनेक नए नारों का इजाद किया है। तथा अपने विरोधी संगठनों के नारों पर तीखा प्रहार किया है।

भामस ने साम्यवादी नारों को रद्द कर के उनके स्थान पर नए नारे स्थापित किए हैं। इसका एक मात्र कारण यह है कि भामस एक गैर साम्यवादी संगठन के रूप में अपनी पृथक पहचान स्थापित करना चाहता है। इस संदर्भ में भामस ने साम्यवादियों, के पवित्र

एवं आकर्षक नारा “दुनिया के मजदूरों एक हों” पर कीचड़ उछाला है तथा इसके स्थान पर एक नीवन नारा “मजदूरों दुनिया को एक करो” को स्थापित किया है।³⁶ “कमाने वाला खाएगा” नामक नारा भामस के अनुसार जितना आकर्षक है, उतना ही तथ्यहीन। इस नारे के स्थान पर भामस ने “कमाने वाला खिलाएगा” नामक नारा दिया। “इंकलाब जिन्दाबाद” की भामस अप्रासांगिक समझता है तथा “हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो” को अंराष्ट्रीय। भामस ने मजदूर क्षेत्र में कुछ अन्य नारे भी उछाले हैं उनमें कुछ प्रमुख को यहाँ स्थान देना आवश्यक समझा गया है।

भारत माता की	जय हो।
भारतीय मजदूर संघ	अमर रहे, अमर रहे।
देश के हित मे काम करेंगे काम	काम का लेंगे पूरा दाम।
देश की रक्षा पहला काम	सबको काम, बाँधों दाम।
आय विषमता समाप्त हो	एक-दस अनुपात हो।
पूँजीवाद, सरकारीवाद	शोषण करते दोनो साथ।
गलत आँकड़ा तोड़ दो	महंगाई वतेतन जोड़ दो।
असली वेतन सबको दो	मूल्यों का नियंत्रण हो।
नई जवानी केशिरया रंग	मजदूरों का मजदूर संघ
हमारा राष्ट्रीय श्रम दिवस	विश्वकर्मा जयंती।
आटोमेशन नहीं चाहिए	नहीं चाहिए
देशभक्त मजदूरों	एक हो, एक हो
धन की पूँजी श्रम का मान	कीमत दोनों एक समान।

श्रम की नीति श्रम का मान	मॉग रहा मजदूर किसान।
देश के कोने कोने से	उद्योगों में साझेदारी यही।
श्रमिकों ने ललकारा है	हमारा नारा है
मेहनत को पैसा समझो	मील पूँजी में हिस्सा दो।
मजदूर-फैक्ट्री देश ध्यान	तीनों का हित एक समान
काम का अधिकार	मौलिक अधिकार
लाल गुलामी छोड़ के बोलो	बोलो बंदे मातरम् ³⁷

इन नारों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीयता एवं भारतीयता की भावना से ओतप्रोत है। राष्ट्रहित अन्य सभी हितों से ऊपर है। इन नारों से भामस का साम्यवादी दर्शन से विरोध प्रकट होता है। भामस पूंजीवाद का भी आँख मूद कर समर्थन नहीं करता तथा उसे शोषण का स्त्रोत मानता है। यह अटोमेशन को नहीं स्वीकारता। उद्योगों में श्रमिकों की साझेदारी तथा काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखने की सिफारिश करता है। मजदूरों एवं मजदूर नेताओं पर इन नारों के असर की जाँच आगे के अध्यायों में की गई है।

³⁷ श्रमिक स्मारिका, भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश, 1984

1974 का रेल हड़ताल और भामस

भामस ने 1959 में प्रस्ताव पारित किया कि सभी तरह के कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए। भामस के नेताओं पर शुक्राचार्य की नीति का प्रभाव था। सुक्रानीति का एक श्लोक है-

सेवा बिना नृपः पक्षं दद्याद् भृत्याय वत्सरे।

चत्वारिंशत्समा नीताः सेवया मेन वै नृपः॥

एक वर्ष में राजा अपने सेवकों की आधे महीने की तनखाह अधिक दे। चालीस साल तक नौकरी करने वाले सेवक का पुरस्कार है। प्रतिवर्ष का एक पक्ष अधिक लगा कर अंत में उसे यह द्रव्य देना योग्य है।

भामस ने जब गेट मीटिंग में बोनस पर भाषण देना शुरू किया तो पहले लोग मजाक उड़ाते थे। 1959 से बोनस पर भाषण धीरे-धीरे सभी संगठन में लोग देने लगे चूंकि कर्मचारी के हित में था। इसी विषय को लेकर 74 का रेल हड़ताल हो गया। 8 मई से लेकर 18 मई तक व्यापक हड़ताल चला। इसमें इन्टक छोड़कर सभी अन्य संगठनों के नेता जेल चले गये। इसका दो कारण है पहला गिरफ्तारी देने में नेता का भला रहता है, काम नहीं करना पड़ता है। कर्मचारियों में शहीदी रूप बनता है। पर भामस रेल मजदूर संघ ने इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए अपना परीक्षण कार्यक्रम चलाया था सभी कार्यकर्ताओं को आदेश था कि गिरफ्तारी नहीं देनी है यानी बचने की अधिक कोशिश। रेल हड़ताल को अपने हाथ में लेना। जार्ज ने जेल से ढेंगड़ी जी को पत्र लिखकर

अनुरोध किया कि आप इस आन्दोलन का संयोजक बने और हड़ताल को सफल बनाएं। एक कारण और था पुलिस वाले भामस के बहुत से लोगों को पहचानते भी नहीं थे।

रेल का देश में सबसे बड़ा यार्ड है मुगलसराय और डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी। डीरेका पर भामस का पूर्ण कब्जा था। इसके नेता श्री राम प्रसाद शर्मा, ज्वाला प्रसाद तिवारी, एम. एम. मिश्रा, सुमेश्वर राम, गोविन्द प्रसाद श्रीवास्तव थे। सरकार का अत्याचार बढ़ा। प्रायः सभी नेतास जेज भेज दिए गए थे डीरेक मुगलसराय ज.पुलिस बल से भर दिया गया था। श्री रामप्रसाद शर्मा भाषण देने, पोस्टर लगाने, निर्णय लेने वाला व्यक्ति के नेता थे। जनता जेल, जनता कर्फ्यू, जनता पास जैसे शब्दों से सरकार परेशान थी। बी. बी. सी. रेडियो भी इस पर समाचार दे रहा था। रेल के ड्राइवर और गार्ड को पकड़ कर जनता जेल में डाल दिया जाता था। कमलापति त्रिपाठी केंद्र में मंत्री थे वे डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में बैठक हुए थे, इन्टक के सभी कर्मचारी अन्दर थे लेकिन उत्पादन बंद हो गया। रेल के ड्राइवर गार्ड जेज में बंद कर दिए जाते, गाड़ी नहीं चलने के कारण रेल पटरी जाम हो गयी और देश को जोड़ने वाली जगज मुगलसराय रेवले यार्ड है। पुलिस का दमन बढ़ा, पानी विजली काट दिए गस। भामस ने आटा दाल, चीनी, 50 रुपया करीब 300 से अधिक परिवारों को बनारस में बाँटा। मुगलसरास से लेकर डेराका युद्ध क्षेत्र में बदला हुआ था। रामप्रसाद शर्मा और ज्वाला प्रसाद तिवारी को जिन्दा या मुर्दा गिरफ्तार करने का फरमान जारी था। एक दिन इन दोनों नेताओं को पुलिस ने घर लिया तो ये नेता भूसा के टाल में 48 घंटा बैठे रहे सिर्फ नाक बाहर रखते थे। लेकिन अंत तक पुलिस पकड़ नहीं पायी, साथ ही गेट मीटिंग भी ये करते थे। इस आन्दोलन श्री वरमेश्वर पाण्डे पूर्व विधायक का भी योगदान था। 16 मई 1974 को भारत बंद था। मुगलसरास का यार्ड बंद होने के चलते यह संघर्ष/हड़ताल

सफल हो गया, जनता का समर्थन प्राप्त था। पुलिस के अत्याचार से जनता रेल कर्मचारियों के समर्थन में थी। गम का वातारण था 419 कर्मचारी जेल चले गए थे। इसी के चलते रेल आन्दोलन सफल हो गया।

26 मई को हड़ताल समाप्त हो गई। इस श्रेय का भागीदार भामस बन गया, सभी श्रमिक संगठनों ने यह मान लिया की भामस के पास संगठन है। श्रम आंदोलन में यह एक मनोवैज्ञानिक विजय भी थी। भामस के पास कार्यकताओं का भण्डार है और सभी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। रमन्ना लाल उर्फ ढेगड़ी जी का हनुमान एक उदाहरण है। रमन्ना लाल रेलवे में कर्मचारी थे 1974 के हड़ताल से बाहर है। आज ये सैलून चलाते हैं। 1975 में बनारस के रेल कर्मचारियों ने मांगों को लेकर हनुमान जी पैदल कमलापति त्रिपाठी से मिलने दिल्ली चल दिए। बनारस से दिल्ली जाने में एक माह का समय लगा पाकेट में पैसा था नहीं सो रास्ते में भोजन नहीं किया एक माह तक। सिर्फ पानी पीकर मंत्री महोदय के निवास पहुँच गए। जिस संगठन के पास हनुमान जी जैसा व्यक्ति हो वह संगठन आगे ही बढ़ेगा।

“हम पागल है इसीलिए भारतीय मजदूर संघ है। हमने प्रारंभ से ही चेतावनी दी थी मजदूर संघ मे आना उनको भारतीय मजदूर संघ में आना ही नहीं चाहिए। जो पागल है , जिनका जरा दिमाग का पेंच कुछ ढीला है वही भारतीय मजदूर संघ में आएँ। किन्तु हम राष्ट्र को आश्वासन देना चाहते है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण का गरीबों की गरीबी दूर करने का, रोनेवाले लोगों के आंसू पोछने का, अन्त्योदय का अर्थात देश से छोटे से छोटे और गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्कर्ष सिद्ध करने का जो प्रमुख साधन है उस साधन के रूप में भामस रहेगा

और इसलिए जो व्यवहार चतुर लोग है उनको हम कहेंगे कि साहब। आप भामस के बाहर हट जाइये। आप प्रधान मंत्री बनिये। आप दुनिया के प्रेसीडेंट बनिये। लेकिन हमने परम वैभव सिद्ध करना है। आप आयेंगे और जायेगे। हम तो राष्ट्र के परम वैभव लिए काम कर रहे हैं, और वह हम करते रहेंगे।

गरीबों की गरीबी दूर करेंगे रोने वालों के आंसू पोंछेंगे। आखिरी आदमी के उत्कर्ष तक हम काम करते रहेंगे और इसके लिए ही हमारा यह पागलपन है।³⁸

³⁸ ठेंगड़ी जी, पेज नं. 99, उत्तर प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ एक झलक

भारतीय मजदूर संघ का कार्य

1. 1959 कर्मचारियों को वोनस मिलना चाहिए का प्रथम प्रस्ताव पास किया।
2. 1962 चीनी आक्रमण के समय भामस ने अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार अपना योगदान किया।
3. 1963 मुम्बई बंद के आह्वान को सफल किया, सरकार ने लकड़ावाला समिति कागठन कर समस्या का समाधान किया।
4. 1965 पाकिस्तानी आक्रमण के समय भामस ने जोर-शोर से अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार अपना योगदान दिया।
5. 1966 भारतीय श्रम नीति के संदर्भ में न्यायाधीश गजेन्द्रगड़कर की अक्षयता में प्रथम श्रम आयोग को ज्ञापन दिया।
6. 1968 (क) कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का प्रथम अभ्यास वर्ग भूसावल महाराष्ट्र में किया गया।
(ख) सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल एवं श्री ढेंगड़ी जी जेल गये।
7. 1969 (क) राष्ट्रपति को राष्ट्रीय मांग पत्र सौंपा। भामस के सिद्धांत के आधार पर जहाँ अधिकारियों की मांग की है वहाँ कर्तव्य और अनुशासन के निर्वाह की बात की है।
(ख) बैंकों में राष्ट्रीयकरण के विरोध में सरकार को ज्ञापन दिया।

8. 1974 रेल हड़ताल ऐतिहासिक रही तथा भामस इस आन्दोलन में संयोजक बन गया। भामस छोड़ कर सभी नेता जेल में, इसके नेताओं ने जमकर कार्य लिया। रेल हड़ताल ने भामस को एक शक्तिशाली संगठन के रूप में प्रस्तुत किया।
9. 1975-76 25 जून आपातकाल में सरकार के दमन चक्र एवं मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया जिसमें 1500 मीसा में बंद हुए और हजारों जेल भेजे गए।
10. 1977 (क) भूत सिंगम कमेटी के विरुद्ध आंदोलन कर अपनी नीति स्पष्ट की।
(ख) आई.एल.ओ. में प्रथम बार भामस के प्रतिनिधि के रूप में टेंगड़ी जी गए।
11. 1979 भामस ने सरकार द्वारा राष्ट्र व मजदूरों के हितों के विरुद्ध जो नीतियाँ बनायी उनका जमकर विरोध किया।
12. 1980 भामस के रजत जयंती वर्ष में देश भर में स्थान स्थान पर विश्वकर्मा जयंती का आयोजन किया, जिसमें लाखों मजदूरों ने भाग लिया।

13. 1981 केन्द्र सरकार की गलत श्रम नीतियों के विरुद्ध भारतीय मजदूर संघ सहित 8 केन्द्रीय श्रमिक संगठन व औद्योगिक महासंघों द्वारा अभियान समिति का गठन किया गया।
14. 1982 आर्थिक आजादी की लड़ाई की तैयारी शुरू की गई।
15. 1984 चायना ट्रेड यूनियनों फेडरेशन चीन के निमंत्रण पर भामस का प्रतिनिधि चीन गया। जहाँ पर ढेंगझी जी का भाषण चाइना रेडियों पर भी प्रसारित किया गया।
16. 1986 राष्ट्रीय एकता निशस्त्रीकरण एवं रेग भेद नीति जैसे मुद्दों पर 10 केन्द्रीय श्रम संगठनों का संयुक्त गठन, विश्व शांति के लिए भामस की प्रमुख भूमिका रही।
17. 1990 मास्को में WFTU के विश्व सम्मेलन में भामस का प्रतिनिधि मंडल गया। इसी सम्मेलन में सर्वसम्मति से ट्रेड यूनियन गैर राजनैतिक रहने का प्रस्ताव पारित किया गया।
अप्रत्यक्ष रूप से भामस की भूमिका का समर्थन किया गया।
18. 1991 सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन एवं स्वेदेशी जागरण मंच की स्थापना की गई।

19. 1993 डंकल प्रस्ताव के विरोध में विशाल प्रदर्शन एवं राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया।
20. 1994 (क) धनबाद में पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध आर्थिक स्वतंत्रता का युद्ध शुरू करने की घोषणा की गई।
(ख) सर्वपथ समाचार मंच की स्थापना भी हुई।
21. 1998 निजीकरण के विरोध में संसद भवन पर विशाल प्रदर्शन हुआ।
22. 1999 दूसरे श्रम आयोग गठन के लिए विशेष आग्रह की भूमिका रही।
23. 2000 प्रदेशों में बोनस सिलिंग एवं मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा।
24. 2001 WTO (मोड़ो-तोड़ो-छेड़ो नारे के साथ) विरोध में अखिल भारतीय स्तर की दिल्ली में विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से लाखों मजदूर आये।
25. 2003 किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय मजदूर संघ ने संयुक्त रूप से दिल्ली में विशाल धरना एवं प्रदर्शन किया।

26. 2004 यू. पी. ए. सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों एवं बदले की भावना के विरुद्ध 20 सितंबर को दिल्ली में प्रदर्शन किया गया।
27. 2005 में भामस अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरा कर रहा है। स्वर्ण जयंती वर्ष है। 8440281 लाख सदस्य संख्या वाला देश का सबसे बड़ा श्रम संगठन घोषित कर दिया।

BMS ON TOP

Verified membership of Central Trade Union Organisations as supplied by the Chief Labour Commissioner to the CTUOs for the cut off date 31-12-1989:

Sr. No.	Name of the Organisation	Industrial Workers	Agricultural Workers	Total
1.	BMS - Bharatiya Mazdoor Sangh	27,69,556	3,47,768	31,17,324
2.	INTUC - Indian National Trade Union Congress	25,87,378	1,19,073	27,06,451
3.	CITU - Centre of Indian Trade Unions	17,68,044	30,049	17,98,093
4.	HMS - Hind Mazdoor Sabha	13,18,804	1,58,668	14,77,472
5.	AITUC - All India Trade Union Congress	9,05,975	17,542	9,23,517
6.	UTUC (LS) - United Trade Union Congress (Lenin Sarani)	4,33,416	3,69,390	8,02,806
7.	UTUC - United Trade Union Congress	2,29,225	3,10,298	5,39,523
8.	NFITU - National Front of Indian Trade Unions	3,63,647	1,66,135	5,29,782
9.	TUCC - Trade Unions co-ordination Centre	30,792	1,99,347	2,30,139
10.	NLO - National Labour Organisation	1,36,413	2,464	1,38,877
11.	HMKP - Hind Mazdoor Kisan Panchayat	3,516	--	3,516
12.	IFFTU - Indian Federation of Free Trade Unions	428	--	428
		1,05,47,194	17,20,734	1,22,67,928

Source: Chief Labour Commissioner (Central), "Report on CTUOs' Membership Verification" as announced on July 16, 1994, Organiser, August 28, 1994, p.9.